सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-2016

कारा

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2015-2016

कारा

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

विषय सूची

माननीय केंद्रीय मंत्री (एमडब्ल्यूसीडी) का संदेश i

माननीय राज्य मंत्री (एमडब्ल्यूसीडी) का संदेश ii

अध्याय-१ : प्रस्तावना 1

१.१ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण 1
१.२ राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण 2
१.३ जिला बाल संरक्षण एकक 2
१.४ विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण 3
१.५ प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण 3
१.६ केंद्रीय प्राधिकरण एवं विदेशों में भारतीय मिशन 3

अध्याय-२ : गतिविधियां 4

२.१ बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, २०१५ की अधिसूचना 4
२.२ केयरिंग्स 5
२.३ प्रशिक्षण और विकास 7
2.४ मीडिया और पब्लिसिटी 13
२.५ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 13
२.६ निरीक्षण और निगरानी 14
२.७ अन्य पहलें 14

अध्याय-३ : आंकड़ा आधार (दत्तक ग्रहण आंकड़ा) 15

अध्याय-४ : अनुलग्नक 18

४.१ परिशिष्ट – क : राज्य-वार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) 18
४.२ परिशिष्ट – ख: राज्य वार जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) 23

अध्याय-५ : २०१५-२०१६ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े 24

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक : 04 अगस्त, 2017

संदेश

मुझे वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है जो कारा द्वारा दत्तक ग्रहण में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के स्थापन के लिए कारा द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने विषयक दिशानिर्देश, 2015 को मूर्त रूप दिया गया जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।

इसी अनुक्रम में, दत्तक-ग्रहण संसाधन प्रबंधन, बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के ऑनलाइन आवेदन संबंधी दत्तक-ग्रहण संसाधन प्रबंधन तंत्र को अद्यतन किया गया ताकि भावी दत्तक माता-पिता कारा में सीधे पंजीकरण कर सकें। केयरिंग्स के अद्यतन होने के पश्चात, देशीय भावी दत्तक माता-पिता अपने आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त पता कर सकते हैं जो कि पहले संपूर्ण दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के ऑफलाइन होने के कारण संभव नहीं था। इससे दत्तक ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आई हैं।

मुझे विश्वास है कि अब हमारे पास एक बाल हितैषी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उनका अवस्थापन स्नेही परिवारों में किया जा रहा है । केंद्रीय स्तर पर दत्तक-ग्रहण एवं दत्तक-ग्रहण पश्चात, की पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जा रही है।

आंकडों की ऑनलाइन निगरानी के द्वारा बाल कल्याण समिति और न्यायालय द्वारा कारित विलंब का निवारण किया जा रहा है। सभी हितधारकों के लिए अनेक प्रशिक्षण और अभिन्वियांस कार्यक्रमो के माध्यम से इसे दूर करने के सभी प्रयास किये जा रहे है। न्यायिक संस्थानों के माध्यम से न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे है।

मैं संस्थानिक देखभाल में रह रहे प्रत्येक बच्चे के लिए प्रेम तथा स्नेही परिवार को ढूढंने की आवश्यकता पर बल देती हूं। अतः मैं सभी हितधारकों से अनुरोध करूंगी कि वे दत्तक ग्रहण को बढावा दें क्योंकि यह उन बच्चों के पुनर्वास का सबसे बेहतर तरीका है जो परिवार की देखभाल और सहयोग से वंचित है।

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

Off.: Room No. 353, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel.: 23074052-54, Fax: 23387384
Resi. : 14 Ashoka Road, New Delhi-110001, Tel. : 23357088, Fax : 23354321

सत्यमेव जयते
कृष्णा राज
KRISHNA RAJ

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक : 04 अगस्त, 2017

संदेश

मुझे, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त (अब सांविधिक), निकाय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है जिसमें वर्ष 2015-16 के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियां समाहित हैं।

मैं अवगत हूं कि बालकों/बालिकाओं के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत 2015 जिन्हें 17 जुलाई, 2015 को अधिसूचित किया गया था, जो 01 अगस्त, 2015 से प्रभावी हैं एवं जिसने दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, माता-पिता की सूचित पसंद, आचार-व्यवहार और कठोर समयबद्धता नए मार्गदर्शक सिद्धांत के अनिवार्य घटक हैं। दत्तक-ग्रहण को सरल बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण जैसे जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) को और अधिक क्रियाशील बनाने पर बल दिया गया है।

ऑनलाइन प्रणाली के प्रचलन में आने के परिणामस्वरुप अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा मिला है। बड़ी विशेष जरुरतों वाले बच्चों तथा अधिक उम्र के बच्चों का अनिवासी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक-ग्रहण माता-पिता की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

दत्तक-ग्रहण संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन को संतोषप्रद एवं आनंदपूर्ण बनाने में प्रयासरत कारा को मैं हार्दिक शुभकामनायें देती हूं।

(कृष्णा राज)

कार्यालय : कमरा नं. 756, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23382361–63, फैक्स : 23070704
Off. : Room No. 756, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, **Tel.** : 011-23382361-63, Fax. : 011-23070704
निवास : 404, कावेरी अपार्टमेन्ट, डा. बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली, दूरभाष : 23721834, ई–मेल : mos-mwcd@gov.in
Resi. : 404 Kavari Apartment, Dr. B.D. Road, New Delhi-110001, **Tel.** : 011- 23721834, **E-mail** : mos-mwcd@gov.in

परिवर्णी शब्द

एएफएए	: अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	: केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अतंरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन १९९३ के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामोदिष्ट सरकारी विभाग)
सीएआरए	: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	: बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
सीडब्ल्यूसी	: बाल कल्याण समिति
आईसीपीएस	: समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आईसीटी	: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	: सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
जे.जे.एक्ट	: किशोर न्याय अधिनियम
पीएपी	: भावी दत्तक माता-पिता
एसएए	: विशिष्ट दत्तक- ग्रहण अभिकरण
सारा	: राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
यूटी	: संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

माननीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी १८ अगस्त २०१५ को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में कारा द्वारा आयोजित नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिचयात्मक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए।

१.१ केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) :

१.१.१ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना एल.के.पाण्डे बनाम भारत सरकार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तत्कालीन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने १९९० में की। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६० के तहत एक विधिक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से १९९९ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्ववाधान में भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय बनाया गया।

वर्ष २००३ में कारा को बालक संरक्षण और अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के अतंर्गत एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

१.१.२ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २०१५ के अंगीकार होने पर केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय बन गया और उसे अधिनियम की धारा ६८ के तहत १५ जनवरी, २०१६ से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया। कारा को निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है:-

क) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य अभिकरण के साथ समन्वय करके अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण में सहायता करना;

ख) अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण को विनियमित करना;

ग) दत्तक-ग्रहण और संबंधित मामलो में समय-समय पर यथा आवश्यक विनियम बनाना;

घ) बालक संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक-

ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

ङ) यथा निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य;

१.१.३ **कारा का विज़न देश में प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे के लिए पालन-पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवार की तलाश करना है । इसका मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के क्रियाकलापों में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता को सुविधाएं प्रदान करना है।**

१.२ राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा):

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा) को राज्य में बालकों के दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। यह भी आशा की जाती है कि सारा दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम में समन्वय, निगरानी और उसका विकास करने, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की स्थापना में सहायता करने, ऐसे अभिकरणों की एक व्यापक सूची का रख रखाव करने, यह सुनिश्चित करने कि बालकों के सभी दत्तक-ग्रहण/स्थायी स्थापन विधि और दत्तक-ग्रहण विनियम के अनुसार हों, जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की सहायता से दत्तक ग्रहण योग्य बालकों का एक केंद्रीयकृत वेब आधारित डाटाबेस का रखरखाव करने, बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के साथ एसएए के संपर्क को बढ़ाने और एसएए के कार्य का पर्यवेक्षण करने तथा अभिकरणों और सीसीआई के बीच समन्वय सुनिश्चित के लिए एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। सारा को दत्तक-ग्रहण पूर्व तथा दत्तक-ग्रहण स्तर, दोनों के दौरान दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब का समाधान करने के प्रयास करने हैं। ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-क पर है। सारा को एसएए का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा और इसके साथ जैसे ही ऐसे अभिकरणों को मान्यता अथवा नवीकरण प्रदान किया जाए तो उसके पत्र और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

१.३ जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू):

१.३.१ डीसीपीयू समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित एक जिला बाल संरक्षण अभिकरण है। इसका काम जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और उन्हें एसएए अथवा सीसीआई की सहायता से बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक-ग्रहण हेतु जहां कहीं आवश्यक हो, कानूनी तौर पर स्वंतत्र घोषित करना, यह सुनिश्चित करना कि बालक को दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी तौर पर स्वंतत्र घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर एसएए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली पर अपलोड कर दी गई हो, दत्तक-ग्रहण को सुचारू बनाने के लिए उसी अथवा अन्य जिलों में एसएए के साथ बाल देखभाल संस्थान से संपर्क में सहायता करना; दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी तौर पर स्वंतत्र घोषित प्रत्येक बालक की प्रगति को सुनिश्चित करना और जब कभी आवश्यकता हो तो मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना, जिले से किसी बालक अथवा बालकों के दत्तक-ग्रहण के लिए बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में पंजीकृत प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के आवेदन की प्रगति को सुनिश्चित करना और जहां कहीं आवश्यकता हो तो मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

१.३.२ इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षित है कि जहां कहीं आवश्यकता हो, वह सीडब्ल्यूसी की बहाली के प्रयासों और समाचार-पत्र में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से

बहाली के प्रयासों और समाचार-पत्र में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और एसएए की सहायता से पुलिस से गुमशुदा रिपोर्ट प्राप्त करने में सहायता करेगा।

१.३.३ जहां तक दत्तक-ग्रहण का संबंध है, यह गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने तथा विभिन्न स्तर पर हुए विलम्ब को दूर करने सहित जमीनी स्तर पर सभी सहायता देने के लिए 'सारा' और 'कारा' के साथ संबंद्ध है।

१.४ विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए):

१.४.१ किशोर न्याय अधिनियम २०१५ की धारा ६५(१) के अनुसार राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के पुर्नवास के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक-ग्रहण विनियमों में यथा निर्दिष्ट रीति से विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के रूप में प्रत्येक जिले में एक अथवा अधिक संस्थाओं या संगठनों को मान्यता देगी।

१.४.२ एसएए की देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होना तथा उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना; विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों की विशेष देखरेख; भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें; शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकतायें; आराम एवं मनोरंजन गतिविधियां; सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं शोषण से संरक्षण; समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, पुन: स्थापन एवं अनुवर्तन शामिल होते हैं । एसएए की दत्तक-ग्रहण वाले बालक और पीएपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दत्तक-ग्रहण वाले प्रत्येक बालक के आनॅलाइन डाटाबेस का रख-रखाव करता है और बालकों से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करता है। यह पीएपी की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करता है तथा गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत (२०१५) में यथा विनिर्दिष्ट तरीके से तैयार की जाती है। वर्तमान में, दत्तक-ग्रहण (देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण) में बालकों को रखने हेतु उनके संबंधित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के अभिकरण हैं। ऐसे अभिकरणों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-ख में दी गई है।

१.५ प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए):

कारा विदेशों में रह रहे पीएपी जिनमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई), एवं विदेशी शामिल हैं, के आवेदनों को प्रयोजित करने के लिए विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। ये अभिकरण अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों को तैयार करने हेतु प्राप्तकर्ता देशों में प्रत्यायन अभिकरणों के रूप में जाने जाते हैं (हेग अभिसमय में यथा परिभाषित)। एएफएए को भारत से बाल दत्तक-ग्रहण के इच्छुक पीएपी को पंजीकृत करना और उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को जल्दी से पूरा करना; प्राधिकरण से दत्तक-ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद शीघ्र दत्तक-ग्रहण सुनिश्चित करने हेतु एसएए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत (२०१५) में उनके लिए यथा अधिसूचित अन्य कार्यकलाप करना सम्पादित करना होता है।

१.६ केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और विदेश में भारतीय मिशन:

हेग अनुसमर्थित कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण (कारा के समकक्ष) भारत से दत्तक-ग्रहण के इच्छुक पीएपी के मामलों को प्रायोजित करते हैं। कुछ गैर-हेग अनुसमर्थित देशों में भारतीय मिशन एनआरआई द्वारा देश से दत्तक-ग्रहण करने के मामलों को प्रायोजित करने में लगे हुए हैं।

गतिविधियां

२.१ "बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत २०१५" की अधिसूचना :

२.१.१ नवीन और सरल रूप में "बालकों के दत्तक-ग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत २०१५' जिन्हें दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत २०१५ भी कहा जाता है को केंद्र सरकार ने १७ जुलाई, २०१५ को अधिसूचित किया और यह १ अगस्त, २०१५ से लागू हुआ। इसके साथ ही, नवीन प्रकार से रचित आनॅलाइन केयरिंग्यस में आवेदित बच्चों के केंद्रीकृत आंकडे, पीएपी का पंजीकरण और उनकी अर्हता और पंसद के अनुसार बच्चे का रेफरल इसी तिथि से प्रभावी हुआ।

२.१.२ इन मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण को प्रमाणिकता प्रदान करने और प्रभावी विनियमन के साथ ही दत्तक-ग्रहण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाना भी है। इन नए मार्गदर्शक सिद्धांत से, पीएपी के लिए यह सरल हो गया है कि वे अपने आवेदनों की अद्यतन स्थिति को जान सकें जिससे संपूर्ण प्रणाली का उपयोग करने वालों को सुविधा हो। नीचे दिए गए समय निर्धारण के अनुसार केयरिंग्स द्वारा बच्चों को स्वयं ही देश के भीतर दत्तक-ग्रहण से अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण में रेफर किया जाता है:-

क) ६० दिनों के बाद, यदि बच्चा पांच वर्ष से अधिक हो या बहन-भाई हो,

ख) ३० दिनों के बाद, यदि बच्चा पांच वर्ष से अधिक हो या बहन-भाई हो,

ग) १५ दिनों के बाद, यदि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो,

२.१.३ दत्तक-गहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत २०१५ के मुख्य बिंदु नीचे वर्णित हैं:-

क) सारा/डीसीपीयू द्वारा पैनलबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पीएपी की गृह अध्ययन रिपोर्ट को बनाना

ख) बड़े बच्चे के दत्तक-ग्रहण के दायरे को बढ़ाना

ग) सीसीआई में अधिक आयु वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु पीएपी की अधिकतम आयु अर्हता सीमा को १०५ से बढाकर ११० कर दी गई है।

बालक की आयु	पीएपी की अधिकतम संयुक्त आयु	एकल पीएपी की अधिकतम आयु
किसी भी आयु से 18 वर्ष तक	90 वर्ष तक	45 वर्ष तक
4 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक	90 वर्ष से अधिक 100 वर्ष तक	45 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक
8 वर्ष से 18 वर्ष तक	100 वर्ष से अधिक 110 वर्ष	55 वर्ष

घ) सभी दत्तक-ग्रहण (देश के भीतर और अंतरदेशीय) केयरिंग्स के माध्यम से होंगें और केयरिंग्स प्रक्रिया से बाहर दत्तक-ग्रहण निषेध है।

ङ) दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दत्तक-ग्रहण समिति का सदस्य स्थानीय डीसीपीयू के अधिकारी को बनाया गया है।

च) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को आंशिक ऑनलाइन प्रक्रिया से पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया बना दिया गया।

छ) पीएपी को अपनी वरिष्ठता देखने के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना।

ज) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के लिए गृह अध्ययन से पूर्व पीएपी स्वयं का पंजीकरण करें और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें।

झ) अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में, पीएपी द्वारा एएफएए/सीए में पंजीकरण करते समय गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करना

ञ) दत्तक-ग्रहण लूप में अधिक बच्चों को लाने के दत्तक-ग्रहण आंकडों को बढ़ाने के लिए सीसीआई-एसएए/डीसीपीयू के मध्य संबंध स्थापित किया गया है।

ट) सभी मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को एसएए नामनिर्दिष्ट किया गया है और ये अभिकरण देश के भीतर दत्तक-ग्रहण और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण में बच्चों का स्थापन करने के पात्र हैं।

ठ) डीसीपीयू को दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने और दत्तक-ग्रहण से पहले और दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के दौरान होने वाले विलंब का समाधान करने का अधिदेश दिया गया है।

ड) राज्य सरकार द्वारा देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण दोनों में बालकों के स्थापन हेतु एसएए को पांच वर्षों की अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

ढ) कारा द्वारा एएफएए को पांच वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है

ण) कारा तथा उसके अधीनस्थ हितधारकों द्वारा ऑनलाइन केयरिंग्स के माध्यम से संपूर्ण दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी।

त) सारा और डीसीपीयू द्वारा स्थानीय स्तर पर एसएए के कार्यकलापों की निगरानी।

२.२ केयरिंग्स:

२.२.१ बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स), दत्तक ग्रहण संबंधी ऑनलाइन पहल को फरवरी, २०११ में शुरु किया गया और उसे कारा की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.cara.nic.in पर दर्शाया गया। केयरिंग्स बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय १९९३ में यथा परिकल्पित अंतराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है जिसका भारत एक पक्षकार देश है। यह राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है।

२.२.२ इस वेबसाइट को निम्नलिखित के लिए एनआईसी (नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर) की सहायता से डिजाइन किया गया है :-

क) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारू, त्वरित एवं निर्बाध बनाने के लिए,

ख) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए,

ग) कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए,

घ) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में सामन्जस्य स्थापित करने हेतु पक्षकारों का प्रशिक्षित नेटवर्क तैयार करने के लिए और,

ङ) कारगर नीति-निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए दत्तक-ग्रहण के राष्ट्रीय आंकडा आधार का रख-रखाव करने के लिए

२.२.३ केयरिंग्स के लाभ :-

क) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की आनॅलाइन निगरानी से विभिन्न स्तरों पर विलंब को समझने और इससे प्रणाली की खामियों को दूर करने में सहायता मिलती है।

ख) डाटा विश्लेषण एक समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने को संभव बनाता है।

ग) केयरिंग्स पर दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण किया जाता है

घ) पीएपी का ऑनलाइन पंजीकरण होता है।

ङ) विशेष जरूरतों वाले बच्चों का शीघ्र स्थापन किया जाता है।

च) दत्तक-ग्रहण के बाद ऑनलाइन अनुवर्ती कार्रवाई सम्पादित की जाती है।

छ) एसएए के साथ संपर्क के माध्यम से अन्य सीआई में स्थापित बच्चों का दत्तक-ग्रहण कार्य संपन्न होता है।

ज) घरेलू दत्तक-ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना

२.२.४ विभिन्न संचालनात्मक मॉड्यूल

क) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के लिए पंजीकरण हेतु पीएपी मॉड्यूल
ख) बालकों के पंजीकरण हेतु एसएए मॉड्यूल
ग) जिले के भीतर दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी के लिए डीसीपीयू मॉड्यूल
घ) राज्य के भीतर दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी हेतु सारा मॉड्यूल
ङ) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी हेतु कारा मॉड्यूल
च) विदेशों से दत्तक-ग्रहण के इच्छुक पीएपी के पंजीकरण हेतु एएफएए मॉड्यूल

२.२.५ उपलब्धियां

दत्तक-ग्रहण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए २०१५ में केयरिंग्स को उन्नत बनाया गया।

क) केयरिंग्स के माध्यम से ४०२ विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।
ख) केयरिंग्स के माध्यम से ५०१ जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयू) का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।
ग) केयरिंग्स के माध्यम से ३१ राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (सारा) का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।
घ) विशेष जरूरतों वाले मॉडयूल के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले दत्तक ग्रहण योग्य बालकों के पुनर्वास की फास्टट्रैकिंग की गई।
ङ) बड़े बच्चों के पुनर्वास की फास्टट्रैकिंग की गई।
च) अगस्त २०१५ से मार्च २०१६ तक केयरिंग्स पर ८००६ पंजीकृत पीएपी की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) को केयरिंगस पर अपलोड किया गया।
छ) नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत (२०१५) के क्रियान्वयन के बाद प्रथम बार घरेलू दत्तक-ग्रहण में विशेष जरूरत वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया गया। अगस्त २०१५ से मार्च २०१६ तक ३६ विशेष जरूरत वाले बच्चों का देश के भीतर दत्तक-ग्रहण में स्थापन किया जा सका।

२.२.६ २०१५ के दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देशों की अधिसूचना के साथ केयरिंग्स को उन्नत और संचालनात्मक बनाया गया।

क) अब भारत में रह रहे पीएपी दत्तक-ग्रहण अभिकरण जाये बिना सीधे ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे जिसके आधार पर उनकी उपयुक्ता और पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
ख) पीएपी की गृह अध्ययन रिपोर्ट स्थानीय दत्तक-ग्रहण अभिकरणों द्वारा तैयार की जाती है और गृह अध्ययन रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है।
ग) पीएपी को रेफरल ऑनलाइन दिये जा रहे है।
घ) अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में भी सभी आवेदनों को केयरिंग्स पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है।
ङ) घरेलू व अतंर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण, दोनों में दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती रिपोर्ट को भी केयरिंग्स पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है।
च) केयरिंग्स में रियल टाइम ऑनलाइन रिपोर्ट देने की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है।
छ) देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के लिए सभी एसएए कारा से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं।
ज) अतंरदेशीय दत्तक-ग्रहण के लिए आवेदन की केंद्रीकृत ऑनलाइन प्राप्ति में केयरिंग्स के माध्यम से एक कॉमन नंबर योजना का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद एसएए द्वारा आगे की कार्रवाई का प्रावधान है।
झ) देश भर में दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के पास बालकों की रियल टाइम ऑनलाइन सूचना उपलब्ध का प्रावधान किया गया है।
ञ) जिला स्तर पर दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम की निगरानी हेतु डीसीपीयू केयरिंग्स से जुड़े हुए हैं।

ट)	उत्तम प्रौद्योगिकी, सुलभ और पारदर्शी दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को शुरू किया गया है।

२.३ प्रशिक्षण और विकास:

नए दत्तक ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर ५-६ अक्टूबर, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान पारस्परिक संबंधी प्रशिक्षण सत्र

२.३.१ कारा ने राज्य सरकारों एवं अन्य पक्षकारों की सहायता से दत्तक ग्रहण के संबंध में अनेक राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभिन्न पक्षकारों और सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उद्देश्य नीचे दिए अनुसार है:-

क)	जे.जे अधिनियम २०१५ में यथा परिकल्पित देश में गैर-संस्थानिक देखभाल कार्यक्रम और दत्तक-ग्रहण को सुदृढ़ करना

ख)	दत्तक-ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली अर्थात् केयरिंग्स में आई.टी एप्लीकेशन पर जानकारी देना।

ग)	विशेष रूप से माता-पिता की देखभाल से वंछित बच्चों के लिए बाल संरक्षण प्रणाली में गवर्नेंस को बढ़ाना

घ)	दत्तक-ग्रहण सहित विविध बाल संरक्षण मुद्दों को समझने के कौशल को सुदृढ़ करना

ङ)	समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने में योगदान देना, संयुक्त आयोजना बनाना और समन्वित विकास में सहायता करना।

च)	प्रतिभागियों को अघतन दिशानिर्देशों/नियमों के बारे में बताकर उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में और अधिक कुशलता से काम करने और उनके अंदर उनके क्षेत्र में अपेक्षित कौशलों का विकास करने में सहायता देना, और

नए दत्तक ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर २ नवंबर, २०१५ कोहिमा, नागालैंड, में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में श्रीमती रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्री वीरेंद्र मिश्रा, सचिव, कारा और नागालैंड शासन के अधिकारी

छ)	प्रतिभागियों से क्षेत्रीय जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में प्रतिपुष्टि लेना

२.३.२ राज्य अभिविन्यास कार्यक्रमों में हितधारकों की भागीदारी:-

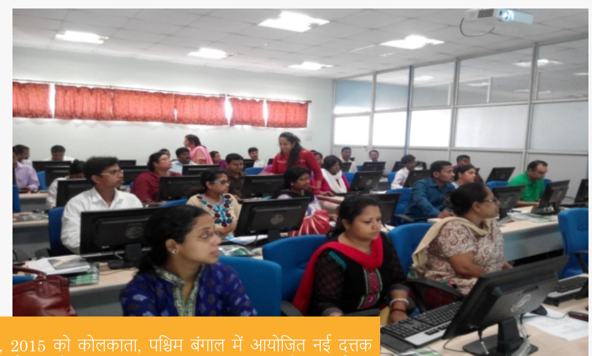

5 अक्टूबर, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित नई दत्तक दिशानिर्देशों और पुनर्वसित कारिंग्स पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण सत्र

क)	राज्य के सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, कार्यक्रम प्रबंधक सारा, कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशिक्षण, आईईसी और एडवोकेसी) कार्यक्रम प्रबंधक(बाल संरक्षण) कार्यक्रम अधिकारी (सीएनसीपी), कार्यक्रम (प्रशिक्षण) , कार्यक्रम अधिकारी (आईईसी और एडवोकेसी), कार्यक्रम प्रबंधक, अधिकारी-सारा:

ख)	दत्तक-ग्रहण अभिकरण और अनाथ, परित्यक्त व अभ्यर्पित बच्चों वाले बाल गृह, सीडब्लयूसी सदस्य, दत्तक-ग्रहण माता-पिता एसोसिएशन, सहायक समूह आदि

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर १६ दिसंबर, २०१५ शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में कारा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी और एसएए, सारा, डीसीपीयू तथा सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि

ग) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)/सरंक्षण अधिकारी-संस्थागत देखभाल (पीओआईसी), संरक्षण अधिकारी-गैर संस्थागत देखभाल (पीओएनआईसी)

घ) सिविल सोसाइटी/चाइल्डलाइन/ओपन शेल्टर/बाल गृहों के सदस्य

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर २२ अगस्त, २०१५ चेन्नई, तमिलनाडु में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री, श्रीमती बी. वलारमठी, समाज कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार। इस कार्यक्रम में, श्री वीरेंद्र मिश्र, सचिव, कारा और तमिलनाडु सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।

ङ) पासपोर्ट अधिकारी/जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पीडियाट्रिक एसोसिएशन, गाइनीकोलोजिक एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एसोसिएशन के राज्य चैपटर्स के प्रतिनिधि

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर ९ सितंबर, २०१५ जयपुर, राजस्थान में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में श्री वीरेन्द्र मिश्रा, सचिव, कारा, राजस्थान सरकार के अधिकारी और एसएए और सारा के प्रतिनिधि

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर २३ अप्रैल २०१५ को चंडीगढ़, हरियाणा में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र मिश्रा
, सचिव, कारा, हरियाणा सरकार के अधिकारी और एसएए, सारा, डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर ८ मई, 2015 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में एसएए, सारा, डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और नई केयरिंग्स पर २२ अगस्त २०१५ को चेन्नई, तमिलनाडु में हुए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम में कारा के अधिकारी और एसएए, सारा, डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि

2.3.3

२०१५-१६ के दौरान किए गए विशेष ऑउटरीच कार्यक्रम

नई दिल्ली में राज्य सरकारों के सचिवों के लिए दत्तक-ग्रहण संबंधी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम	०३
नई दिल्ली में राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और केयरिंग्स संबंधी क्षेत्रीय/जिला स्तर का कार्यक्रम	०४
दत्तक ग्रहण संबंधी राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम	३१
न्यायधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए दत्तक-ग्रहण संबंधी न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	०४

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत पर २७ जुलाई, 2015 को दिल्ली में कारा के सम्मेलन हॉल में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वीरेंद्र मिश्रा, सचिव, कारा

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत पर २७ जुलाई, 2015 को दिल्ली में कारा के सम्मेलन हाल में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कारा अधिकारी और सारा के प्रतिनिधि

२० फरवरी, 2016 को हैदराबाद, तेलगांना में आयोजित नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और केयरिंग्स पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम

९ सितम्बर, 2015 को जयपुर,राजस्थान में आयोजित नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और केयरिंग्स पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम

नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत और केयरिंग्स पर राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम

क्रम.सं.	संबंधित राज्य	स्थान/शहर	तारीख	प्रतिभागि यों की संख्या
1	कर्नाटक	बेंगलुरू	10 और 11 अप्रैल, 2015	120
2	हरियाणा	चंडीगढ	23 अप्रैल 2015	100
3	तमिलनाडु	चेन्नई	8 मई 2015	110
4	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चेन्नई	22 अगस्त 2015	171
5	राजस्थान	उदयपुर	9 सितंबर 2015	165
6	केरल	वलामासर, कोच्चि	14 और 15 सितंबर 2015	60
7	पंजाब	चंडीगढ	17 सितंबर 2015	42
8	ओडिशा	भुवनेश्वर	25 सितंबर 2015	211
9	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	28 सितंबर 2015	50
10	कर्नाटक	बेंगलुरू	1 और 2 अक्टूबर 2015	155
11	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	5 और 6 अक्टूबर 2015	50
12	गुजरात	अहमदाबाद	15 अक्टूबर 2015	160
13	नागालैंड	कोहिमा	3 नवम्बर 2015	120
14	मध्य प्रदेश	भोपाल	7 नवम्बर 2015	104
15	छत्तीसगढ	रायपुर	18 नवम्बर 2015	120
16	असम	गुवाहाटी	20 नवम्बर 2015	90
17	मेघालय	शिलांग	21 नवम्बर 2015	25
18	बिहार	पटना	24 और 25 नवम्बर 2015	100
19	दिल्ली	दिल्ली	10 दिसंबर 2015	25
20	झारखंड	रांची	14 दिसंबर 2015	120
21	हिमाचल प्रदेश	शिमला	16 दिसंबर 2015	56
22	उत्तराखंड	देहरादून	16 दिसंबर 2015	75
23	दिल्ली	दिल्ली	22 दिसंबर 2015	35
24	सिक्किम	कारा कार्यालय दिल्ली	13 जनवरी 2016	07
25	महाराष्ट्र	पुणे	21 और 22 जनवरी 2016	220
26	केरल	तिरूवनंतपुरम	22 जनवरी 2016	102
27	पंजाब	चण्डीगढ	21 और 22 जनवरी 2016	50
28	चण्डीगढ	चण्डीगढ	22 जनवरी 2016	55
29	तेलंगाना	हैदराबाद	2 फरवरी 2016	120
30	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	11 मार्च 2016	110
31	सिक्किम	गंगटोक	21 और 22 मार्च 2016	250 से ऊपर

२.४ मीडिया और प्रचार:

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, उपलब्ध अनेक मीडिया प्लेटफार्मो के माध्यम से कानूनी और नैतिक दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने का काम करता है। कारा द्वारा दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम में की गई कुछ पहलों का वर्णन नीचे किया गया है:-

क) ऑनलाइन दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया और नए दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 के संबंध में कारा द्वारा एसएए और पीएपी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

ख) सभी प्रमुख समाचार पत्रों में अवैध दत्तक-ग्रहण के विरुद्ध लोगों को जागृत करने के लिए मुद्रित विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

ग) कारा न्यूजलेटर (एडोप्शन कनेक्ट) में कारा द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों को प्रकाशित किया गया।

घ) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया का वर्णन करने वाला एक लेख भारतीय एयरपोर्ट अथोरिटी की पत्रिका –'एयरपोर्ट इंडिया' में प्रकाशित किया गया।

ङ) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु पीएपी के लिए चार वीडियो स्पॉट और ऑडियो स्पॉट बनाए गए। मल्टी मीडिया अभियानों और राज्यों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया।

च) ऑनलाइन दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु फेसबुक, टिवटर जैसे सोशल मीडिया का बृहत स्तर पर प्रयोग किया गया। इन पृष्ठों को नियमित रूप से अघतन किया जाता है।

छ) पीएपी के लिए केयरिंग्स पर ऑनलाइन प्रक्रिया का पंजीकरण करने की व्याख्या करने हेतु द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में पाठयक्रम तैयार की गई।

ज) कारा यू-ट्यूब का रख-रखाव कर रहा है जिसमें नई दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को बढ़ावा देने और पीएपी के लिए उसे समझने हेतु ट्यूटोरियल्स और वीडियो स्पॉट उपलब्ध हैं।

२.५ वीडियो कान्फ्रेंसिंग:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दत्तक-ग्रहण पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग:

कारा ने राज्यों में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को सुचारू बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किए है जिनका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

क्रम. सं.	राज्य / संघ क्षेत्र का नाम	वीडियो कान्फ्रेंसिंग की तारीख
1	मध्य प्रदेश	5 नवंबर 2015
2	ओडिशा	
3	दिल्ली	
4	केरल	
5	त्रिपुरा	6 नवंबर 2015
6	पंजाब	
7	असम	
8	पुदुचेरी	
9	झारखंड	
10	हरियाणा	
11	छत्तीसगढ	
12	पश्चिम बंगाल	4 दिसंबर 2015
13	कर्नाटक	
14	गुजरात	
15	आंध्र प्रदेश	
16	तेलंगाना	
17	बिहार	
18	मिजोरम	18 दिसंबर 2015
19	उत्तराखंड	
20	सिक्किम	
21	मणिपुर	
22	मेघालय	
23	नागालैंड	
24	अंडमान एवं निकोबार	
25	गोवा	
26	चंडीगढ	20 जनवरी, 2016
27	तमिलनाडु	
28	राजस्थान	
29	उत्तर प्रदेश	
30	हिमाचल प्रदेश	

२.६ निरीक्षण और निगरानी :

२.६.१ कारा ने यह देखने के लिए दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का संयुक्त निरीक्षण किया है कि क्या सभी संबंद्ध अभिकरण दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट भूमिका और कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

२.६.२ वर्ष २०१५-१६ के दौरान कारा के अधिकारियों द्वारा एसएए के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए लगभग २० निरीक्षण किए गये।

२.७ अन्य पहलें:

२.७.१ घरेलू दत्तक-ग्रहण में स्थापित विशेष जरूरतों वाले बालक

नवीन दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत (२०१५) के क्रियान्वयन के पश्चात घरेलू दत्तक-ग्रहण में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण का प्रसार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कारा ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। अगस्त २०१५ से मार्च २०१६ में पहली बार दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के केंद्रीकृत और ऑनलाइन हो जाने के कारण ३६ विशेष जरूरतों वाले बच्चों का देश में स्थापन किया गया

२.७.२ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से विभिन्न संप्रेषण

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न अर्ध-शासकीय पत्र सचिव, एमडब्लूसीडी/ संयुक्त सचिव, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के एमडब्ल्यूसीडी, द्वारा अपंजीकृत गृहों का पंजीकरण, एसएए-सीसीआई संबंध, अस्पतालों/प्रसूती गृहों में हो रहा गैर-कानूनी दत्तक-ग्रहण, दत्तक-ग्रहण संबंधी विशेष अभियान (नवंबर-दिसंबर), राज्य के विविध न्यायालयों में लंबित दत्तक-ग्रहण मामले, डीसीपीयू द्वारा दत्तक-ग्रहण प्रणाली की पहचान करना और उसे सीसीआई से जोड़ना आदि जिन्हें राज्य के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों/दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश/प्रधान सचिव को जारी किए गए हैं। ऊपर दिए गए संप्रेषण के अनुसार, कारा को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने राज्य/क्षेत्रों में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम का तेजी और सरलता से कार्यान्वयन करने के साथ-साथ दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में देरी और विलंब को कम करने के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

आंकडा आधार
(दत्तक-ग्रहण आंकडा)

दत्तक–ग्रहण	2013–2014 (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014)	2014–2015 (अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015)	2015–2016 (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016)
देश के भीतर	3942	3988	3011
अंतरदेशीय	430	374 (कुल अंतरदेशीय दत्तक–ग्रहण बच्चों मे से 215 विशेष जरूरतों वाले बच्चे थे)	666

३.१ वर्ष २०१५-१६ के राज्य-वार दत्तक-ग्रहण आंकडे का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम.सं.	प्रदेश का नाम	2015.2016 (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016)	
		देश के भीतर दत्तक–ग्रहण	अंतरदेशीय दत्तक–ग्रहण
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	123	21
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	72	12
5	बिहार	83	13
6	छत्तीसगढ	47	6
7	चंडीगढ	8	0
8	दिल्ली	90	86
9	गोवा	10	2

10	गुजरात	123	23
11	हिमाचल प्रदेश	2	0
12	हरियाणा	28	30
13	झारखंड	63	10
14	कर्नाटक	273	24
15	केरल	121	23
16	मणिपुर	3	3
17	मध्य प्रदेश	72	8
18	महाराष्ट्र	724	187
19	मिजोरम	10	9
20	मेघालय	9	5
21	नागालैंड	3	2
22	ओडिशा	230	35
23	पुदुचेरी	21	9
24	पंजाब	40	34
25	राजस्थान	102	7
26	तमिलनाडु	198	45
27	त्रिपुरा	13	0
28	तेलंगाना	240	23
29	उत्तर प्रदेश	123	12
30	उत्तराखंड	11	0
31	पश्चिम बंगाल	169	37
	कुल	3011	666

३.२ वर्ष २०१५-१६ में भारतीय बच्चों का देश-वार अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण विवरण निम्नलिखित है:

क्रम.सं.	देश का नाम	2015–2016 (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016)
1	अमरीका	230
2	डेनमार्क	8
3	बेल्जियम	11

4	नॉर्वे	2
5	नीदरलैंड	2
6	स्वीडन	8
7	ऑस्ट्रिया	2
8	फ्रांस	38
9	इटली	150
10	इंडोनेशिया	2
11	सिंगापुर	4
12	संयुक्त अरब अमीरात	67
13	दक्षिण अफ्रीका	2
14	न्यूजीलैंड	11
15	यूनाइटेड किंगडम	17
16	स्पेन	62
17	ऑस्ट्रेलिया	2
18	जर्मनी	7
19	कनाडा	32
20	फिनलैंड	4
21	मलेशिया	1
22	हांगकांग	2
23	दक्षिण कोरिया	1
24	इथोपिया	1
—	कुल	666

अनुलग्नक

४.१ राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों की राज्य-वार सूची निम्न है:-

क्र.म. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	संबंधित कारा	संपर्क विवरण
1	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास एवं बाल विकास विभाग निदेशालय आंध्र प्रदेश सरकार, द्वितीय तल, स्वर्णजयंती परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	टेली – 040-23730520, 23732587, 23733221 एक्सटेंशन – 238 दत्तक–ग्रहण भाग एक्सटेंशन नं– 222 फैक्स – 040–23730520 ईमेल –adoptionandhra@gmail.com
2.	असम	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, असम सरकार, प्रथम तल, मकान नं46, सर्वे बस स्टॉप, बेलटोला, गुवाहाटी –28 असम	दूरभाष – 0361–2229275, 2265389 फैक्स – 0361–2229275 ईमेल –scpsassam@gmail.com sarascps10@gmail.com, dcpukammet@gmail.com
3.	बिहार	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वितीय मंजिल,अपना घर, पुनचेक, बेली रोड, पटना–800023, बिहार	टेली – 0612–2545033 टेली –0612–2545033 ईमेल –biharsara@gmail.com brajesh1098@gmail.com
4.	चण्डीगढ	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण संघ राज्य क्षेत्र बाल संरक्षण संघ, वाटिका विद्यालय के पास, सेक्टर –19 बी चंडीगढ	टेली– 0172–2548000 ईमेल –ipo.utcps@gmail.com, posara.icps@gmail.com
5	छत्तीसगढ	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ सरकार, इंदरावती भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, एचओडी भवन, न्यू रायपुर छत्तीसगढ – 492001	टेलीफैक्स – 0771–2220006 ईमेल –urmimalasengupta@gmail.com
6	दादर और नगर हवेली	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, समेंकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) दादर और नगर हवेली प्रशासक, समाज कल्याण विभाग ब्लाक–4, पीडब्ल्यूडी परिसर, सिलवासा– 396230, डीएनएच	टेली– 0260–2632027 ईमेल –dnhsara@gmail.com, prashantbadre100@gmail.com

7	दिल्ली	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, एनसीटी सरकार, दिल्ली 1, कैनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	टेली – 011–23073416, 23073459 ईमेल – saraarcdelhi@gmail.com
8	दमन और द्वीप	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र बाल संरक्षण संघ डी–1/4, सरकारी आवास, एनआर, कलेक्ट्र, ढोलर मोती, दमन –396220	टेली – 0260–2230085 फैक्स–0260–2230854 ईमेल –icpsswd@gmail.com
9	गोवा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, द्वितीय तल, 18 जून रोड, पणजी, गोवा –403001	टेली – 0832–22355308, 2426112 फैक्स – 0832–2424238 ईमेल–dir-wcd.goa@nic.in
10	गुजरात	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण गुजरात सरकार, ब्लाक – 19 तृतीय तल, डॉ जीवराज मेहता भवन, सेक्टर – 10 ए, गांधीनगर, गुजरात – 382010	टेली – 079–23242521/22/23 फैक्स –079–23242522 ईमेल – gujarat.icps@gmail.com, sara.gujarat@gmail.com, chiefsecretary@gujarat.gov.in
11	हरियाणा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग बेयस नं 15–20, सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा	मोबाइल– 09888587797 ईमेल– shashins@gmail.com wcd@hry.nic.in
12	हिमाचल प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, सेडर भवन, हिमलैंड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001	टेली– 0177.2629731 फैक्स – 0177. 2629731 ईमेल– hcps.icps@gmail.com
13	झारखंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, झारखंड सरकार, ठंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सैक्टर– 3, धूवा, रांची – 4, झारखंड	टेली: 0651.6573272 ईमेल–sara.jharkhand@rediffmail.com

14	कर्नाटक	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय कर्नाटक सरकार, प्रथम तल, एमएस. बिल्डिंग, डॉ अंबेडकर वीधी रोड, बैंगलुरू, कर्नाटक– 560001	टेली–080–22879381 22879382,22353776 फैक्स–080–22353777 ईमेल– dirwcd@kar.nic.in, jdpdm.dwcd@gmail.com, icpssarakar@gmail.com, prema2manik@gmail.com
15	केरल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल सांइसेस राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल सांइसेस राजगिरि पीओ, कालामसेरी–683104 केरल	टेली–0484–2540727 फैक्स–0484–2532862 ईमेल– keralasara@gmail.com, icpskerala@gmail.com
16	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं सशक्तीकरण निदेशालय, जवाहर भवन, जवाहर बाल भवन परिसर, दूसरा स्टॉप, तुलसी नगर, भोपाल–462001, मध्यप्रदेश	टेली–0755–2551196 फैक्स –0755–2577122 ईमेल– icpsbhopal@gmail.com, commwcd@map.nic.in
17	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास आयोग, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन,पुराने सर्किट हाउस के निकट, पुणे– 411001 महाराष्ट्र	ईमेल– sara.mscps@gmail.com
18	मणिपुर	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार निदेशालय परिसर, एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट), इंफाल, मणिपुर–795001	टेली–0385–2451183 ईमेल–sara.mscps@gmail.com, mscps@gmail.com, dy.commissionercd@gmail.com
19	मेघालय	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार, लोवर लंचूमीचरी, हॉपकिंग्स रोड शिलांग–793001, मेघालय	टेली–0364–2501268 फैक्स–0364–2225978 ईमेल– sara.shillong@gmail.com, hmshang_44@yahoo.in.co

20	मिजोरम	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी लालचुमा बिल्डिंग सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशालय के पास, लाईपुतलांग, ऐजावल, मिजोरम - 796012	दूरभाष: 0389-2306957 ईमेल : saramzr@ymail.com, vanlaldini@yahoo.com
21	नगालैंड	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी अधिकारियों के पहाड़ी, एसपी कार्यालय के पास, एयर बिल्डिंग, कोहिमा, नगालैंड 797,001	टेलीफैक्स : 0370-2242979 ईमेल: scpsnagaland@gmail.com, renchumi@yahoo.com
22	ओडिशा	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी IMAGE परिसर, सिरीयर स्क्वायर, यूनिट -8, खुर्धा, Bunbaneswar-751,003, ओडिशा	दूरभाष : 0674-2562349 ईमेल: pm.sara.od@nic.in, suchetadas123@gmail.com, tia.oscps@gmail.com
23	पुडुचेरी	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक कल्याण निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, नंबर 1, सरदंबल नगर मुख्य मार्ग, एलापिलाइकावादि, पुडुचेरी -5	दूरभाष: 0413-2205871, 2205871 फैक्स: 0413-2206762, 2200088 ईमेल: directorofsocialwelfare@yahoo.com, dswicpspdy@gmail.com
24	पंजाब	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक सुरक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास, पंजाब सरकार, S.C.O. संख्या 102-103, सेक्टर 34A, चंडीगढ़-160022, पंजाब	दूरभाष। : 0172-2608746, 2602726 फैक्स: 0172-2664533 ईमेल: gsmaurdd@gmail.com, Dsswcd@rediffmail.com, garg.ruchika222@gmail.com
25	राजस्थान	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जी 3/1 ए अम्बेडकर भवन (एक्सटेंशन), होटल राजमहल आवासीय क्षेत्र, सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान	दूरभाष : 0141-2226640, 02223387 टेलीफैक्स: 0141-239 9 335/6 ईमेल: ccosjerajasthan@gmail.com, anirudh_jemini@rockeymail.com
26	सिक्किम	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी महिला एवं बाल कल्याण विभाग सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम - 737101	दूरभाष। : 03592-202828 फैक्स: 03592-225682 ईमेल: icpssikkim@gmail.com, rahuldumi@gmail.com
27	तमिलनाडु	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक कल्याण निदेशालय, तमिलनाडु सरकार, 58, अरुणाचलम स्ट्रीट, चिंताधिपति, चेन्नई -600 032, तमिलनाडु	लैंडलाइन: 044-28455746 ईमेल: dswchennai@gmail.com

28	तेलंगाना	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी आयुक्त का कार्यालय, तेलंगाना, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार, दूसरी मंज़िल, स्वर्ण जयंती परिसर, मैथ्री वानम कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद -500038, तेलंगाना	टेलीफोन: 040-23733848, 23733665 ईमेल: tgwdcw@gmail.com, tgadoption@gmail.com
29	त्रिपुरा	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक और शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, उजन अभोग नगर, अगरतला, त्रिपुरा - 79 9 005	दूरभाष : 0381-2326033 फैक्स: 0381-2323980 ईमेल: cw.dswe@gmail.com, dswe_agt@yahoo.com, dswepcell@gmail.com, chiranjit.utitsl@gmail.com
30	उत्तरांचल	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तरांचल सरकार, नागेश्वरी होम्योपैथिक अस्पताल आईएसबीटी रोड, रिस्पाना पूल के नजदीक, देहरादून -248001, उत्तरांचल	दूरभाष। : 0135-2107009 फैक्स: 0135-2656432 ईमेल: directorsocialwelfare@gmail.com, ukchiefpo@gmail.com
31	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी निदेशक महिला कल्याण, महिला कल्याण विभाग और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 8 वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ -226001, उत्तर प्रदेश	दूरभाष। : 0522-2286402 फैक्स: 0522-2286140, 2286451 ईमेल: upsara2015@gmail.com, directormahilakalyan@gmail.com, sudhiricps@gmail.com
32	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी आईसीएमएडी भवन, 9 वीं मंजिल, ब्लॉक -14 / 2 सीआईटी योजना, अल्टदंगा, कोलकाता -700067 पश्चिम बंगाल	दूरभाष। : 033-23560351 फैक्स: 033-2337578 ईमेल: adoption.sarawb@gmail.com, indushekhar.c@gmail.com

४.२ जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) की राज्य-वार सूची:-

कम. सं.	राज्य का नाम	डीसीपीयू की संख्या	केयरिंग्स में पंजीकृत एसएए की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
2	आंध्र प्रदेश	11	14
3	अरूणाचल प्रदेश	0	1
4	असम	1	15
5	बिहार	4	5
6	चंडीगढ	1	2
7	छत्तीसगढ	0	9
8	दमन और द्वीप	0	0
9	दिल्ली	6	12
10	गेवा	0	3
11	गुजरात	0	18
12	हरियाणा	14	3
13	हिमाचल प्रदेश	0	1
14	जम्मू और कश्मीर	0	0
15	झारखंड	5	3
16	कर्नाटक	0	29
17	केरल	14	18
18	लक्षद्वीव	0	0
19	मध्य प्रदेश	19	36
20	महाराष्ट्र	.1	63
21	मणिपुर	5	6
22	मेघालय	0	3
23	मिजोरम	4	4
24	नागालेंड	10	4
25	उडीसा	21	12
26	पांडिचेरी	1	4
27	पंजाब	0	7
28	राजस्थान	0	35
29	सिक्किम	0	2
30	तमिलनाडु	0	11
31	तेलगांना	10	11
32	त्रिपुरा	0	8
33	उत्तर प्रदेश	0	24
34	उत्तरांचल	0	4
35	पश्चिम बंगाल	15	23
	कुल	140	390

२०१५-२०१६
का
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
और
वार्षिक आंकड़े

D.O. No. AMG-III/4-80/SAR/CARA/2017-18/788

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

राजेश अस्थाना
निदेशक (ए.एम.जी.-III)

दिनांक : 03.08.2017

Respected Sir,

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के अवधि 01.4.2015 से 14.01.2016 के लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी.-III/4-80/एस.ए.आर./सी.ए.आर.ए./2017-18/782 दिनांक 03.8.2017 को जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अत: इन पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन विसंगतियों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

सादर

आपका शुभेच्छु

राजेश अस्थाना

संलग्नक: यथोपरि।

कर्नल दीपक कुमार
सदस्य सचिव एवं सी. ई. ओ.,
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम
दिल्ली-110066.

Telephone : 91-11-23454100, Fax : 91-11-23702271, e-mail : dgacr@cag.gov.in

अनुलग्नक

(दिनांक ०३.०८.२०१७ की अर्धशासकीय पत्र सं. एएमजी III/४.८०/एसएआर/कारा/२०१७-१८/७८८)

1. अनुसूची-७ (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) में कारा की देयताओं में ३३,६२० रूपये टेरे देस होमेमेस (लाउसेने) और ३३,६४१ रूपये द बार्कर फाउंडेशन (यूएसएसए) को दिया गया दर्शाया गया है। चूंकि इन संस्थाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया है परुन्तु व्यय की वापसी इन संस्थाओं के नाम पर दर्ज है, राशि को कारा की आय के रूप में लिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप देयताओं को अधिक तथा आय को कम दर्शाया गया इसकी और पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा में भी इंगित किया गया था परन्तु कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

2. स्टाफ की छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए व्यय पर ०.२० लाख की प्राप्ति की गई। शीर्षवार ब्यौरा निम्न है :

विवरण	गैर–योजना (अनुसूची–20 के अनुसार)	गैर–योजना (लैजर शेश और ट्राय ल शेष के अनुसार)
क) वेतन और मजदूरी	11,724,727	1,05,46,144
ख) भत्ते, बोनस तथा मानदेय	48,781	48,781
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	96,000	96,000
घ) पेंशन और अवकाश वेतन अंशदान	–	20297
ङ) चिकित्सा व्यय	378,752	378,752
च) एलटीसी व्यय	–	1,37,588
छ) ईडीएलआई (पीएफ)	–	38,871
ज) ईपीएफ प्रशासनिक प्रभार	–	86,304
झ) पट्टा किराया	598,285	598,285
ञ) उपदान प्रावधान	929,066	929,066
ट) संचित अवकाश वेतन प्रावधान	342,835	342,835
कुल	141,18,446	141,38 ,125

इसके परिणामस्वरूप दी गई राशि के लिए आय तथा व्यय को कम दर्शाया गया।

By: SPEED POST

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110002
दूरभाष/**Phone: 011-23454329** फैक्स/**Fax 23702271** ईमेल / **Email: amg3hq@gmail.com**

संख्या/No. AMG-III/4-80/SAR/CARA/2017-18/782 **दिनांक/Dated:** 02.08.2017

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय: वर्ष 01.4.2015 से 14.01.2016 तक के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन |

महोदय / महोदया

मैं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 01.4.2015 से 14.01.2016 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करता हूँ |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए | कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए |

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है | पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है | यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा |"

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि |

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

By: SPEED POST

संख्या/No. AMG-III/4-80/SAR/CARA/2017-18/783 **दिनांक/Dated** 02.08.2017

प्रतिलिपि: कर्नल दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं सी. ई. ओ., केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम दिल्ली-110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

अनुलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

०१.०४.२०१५ से १४.०१.२०१६ की अवधि के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा २०(१) के तहत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के १४ जनवरी, 2016 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एंव व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षक को २०१५-१६ की अवधि का कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण,सर्वोत्तम लेखांकन पद्धितयों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई है कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता- सह- निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से दी जाती है।

3 हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में रूढ़ लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परिक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनायें गए लेखाकंन सिद्धांतो और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते है कि;

i. हमने वह सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों/प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुसार तैयार किए गए है।

iii. हमार विचार से, प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉडों का रख-रखाव उपयुक्त रूप में किया जाता है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते है:

क तुलन पत्र:

क.१ देयतायें

क.१.१ वर्तमान देयतायें और प्रावधान (अनुसूची-७): 317.25 लाख रूपये

क.१.१.१ २०१५-16 के वित्तीय वर्ष को दो लेखाकंन अवधियों (i)01.04.2015 से 14.01.2016 (9.5 माह) और (ii) 15.01.2016 से ३१.३.२०१६ (२.५ माह) में विभाजित किया गया। कारा ने लेखांकन अवधि की समाप्ति अर्थात 14.01.2016 को यथानुपात आधार पर उपदान तथा अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार राशि का परिकलन किया। हालांकि, यथानुपात परिकलन १०.५ माह के लिए किया गया। इसके फलस्वरूप, 14.01.2016 की समाप्त अवधि के लिए वर्तमान देयताओं और व्यय (स्थापना व्यय-गैर योजना) में राशि को १.२१ लाख रूपये अधिक दर्शाया गया है।

क.१.१.२ वेतन की गणना संग्रहण आधार के बजाय नकद आधार पर की गई।

क.२ परिसंपत्तियां

क.२.१ निवेश (अनुसूची -१०) ६५.३७-लाख रूपये

क.२.१.१ तुलन पत्र की अनुसूची ७ के अनुसार, 31.3.2016 तक के बीमांकिक मूल्यांकन की १४.०१./०१६ की यथानुपात गणना के आधार पर 'अवकाश वेतन और उपदान अंशदान' के लिए १२४.०३ लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। हालांकि कारा ने अवकाश वेतन और उपदान अंशदान के लिए ६५.३७ लाख रूपये का निवेश किया। अत:, इस लेखे के लिए १४.०१.२०१६ तक उपलब्ध निधि में ५८.६६ लाख रूपये की कमी रही।

ख. आय और व्यय

ख.१ आय

ख.१.१. अर्जित ब्याज (अनुसूची-१७) - ३.८७ लाख

ख.१.१.१ १४.०१.२०१६ की अवधि को समाप्त हुई लेखाकंन अवधि के अंतिम लेखों में कारा ने ३.७१ लाख रूपये के निवेश (गैर-योजना) पर अर्जित ब्याज को नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप इस राशि पर आय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को कम करके दर्शाया गया।

ख.२ व्यय

ख.२.१ मूल्यह्रास (अनुसूची-८)- १३.६६ लाख रूपये

ख.२.१.१ चूंकि वित्तीय वर्ष २०१५-16 को दो लेखाकंन अवधियों (i) ०१.०४.२०१५ से १४.०१.१६ (९.५ महीने), और (ii) 15.01.2016 से 31.3.2016 (2.5 महीने) में बांटा गया। कारा ने पहले वित्तीय वर्ष 2015-16 की स्थायी परिसंपत्तियों के पूरे ब्लॉक पर मूल्यह्रास की गणना की और यथानुपात आधार पर दोनों लेखाकंन अवधियों के मूल्यह्रास की गणना को प्रभावित किया।

हालांकि, यह देखा गया है कि कारा ने गुणक 10.5/12 लिया, जबकि लेखाकंन अवधि केवल 9.5 महीने की ही थी। परिणामत: कारा ने संगत लेखाकंन अवधि पर आय तथा व्यय लेखा में मूल्यह्रास व्यय लेखा को ०.७६ लाख रूपये अधिक दर्शाया

विवरण	योजना	गैर–योजना
2015–16 के वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यह्रास	7,78,084	2,44,356
कारा द्वारा 10 .5 महीने को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास	6,71,666	2,13,813
9.5 महीने के लिए यथानुपात मूल्यह्रास	6,15,983	1,93,449
अति प्रभारित मूल्यह्रास	55,683	20,364

*इस वर्ष के दौरान निपटाई गए बहि मूल्य को ऊपर दिया गया मूल्यह्रास से बाहर रखा गया है।

इसके पश्चात, इस मूल्यह्रास लेखा पर व्यय को अधिक दर्शाने के परिणामस्वरूप इस राशि पर इसी लेखाकंन अवधि के तुलन पत्र में स्थाई परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया।

ख २.१.२ कारा ने १४.०१.२०१६ की लेखाकंन अवधि के दौरान ४.८१ लाख रूपये (निपटान के समय मूल्यह्रास-ह्रास मूल्य) की स्थाई परिसंपत्तियों (गैर-योजना) का निपटान किया।

ग प्राप्तियां और भुगतान

ग.१ प्राप्तियां और भुगतान लेखों मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को दर्शाया गया, जो वास्तव में इन लेखों के लेजर अब शेष (प्राप्तियों वाला भाग) और अंत शेष (भुगतान वाला भाग) थे:-

प्राप्तियां			
विवरण	योजना	गैर–योजना	कुल
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन	7,88,40,705	22,00,197	8,10,40,902
ख निधि (अन्य निवेश I) पर निवेश से आय	–	63,33,100	63,33,100
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव क1	7,88,40,705	85,33,297	8,73,74,002
भुगतान			
ऋण और अग्रिम–अन्य	9,98,30,531	18,01,321	10,61,31,852
ख निधि से कयिा गया निवेश ओर जमा	–	65,37,444	65,37,444
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव क2	9,98,30,531	83,38,765	10,81,69,286

हालांकि (i) ट्रायल शेष और (ii) निवेश रजिस्ट्रर (एफडीआर) के अनुसार इन दो प्रविष्टियों का वास्तविक मूल्य नीचे दिया गया है:-

प्राप्तियां			
विवरण	योजना	गैर–योजना	कुल
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन	68,98,409	10,32,625	79,31,034
ख निधि (अन्य निवेश I) पर निवेश से आय	–	18,64,817	18,64,817
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव ख1	68,98,409	28,97,442	97,95,851
कारा द्वारा दी गई प्रविष्टियों पर प्रभाव क1	7,88,40,705	85,33,297	8,73,74,002
प्राप्तियों की अधिकता क1–ख1	7,19,42,296	56,35,855	7,75,78,151
भुगतान			
ऋण और अग्रिम	2,78,88,235	6,33,749	2,85,22,074
ख निधि से किया गया निवेश और जमा	..	20,69,161	20,69,161
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव क2	2,78,88,235	27,02,910	3,05,91,145
कारा द्वारा की गई प्रविष्टियों का प्रभाव क2	9,98,30,531	83,38,765	10,81,69,296
भुगतान में अधिकता क2 ख2	7,19,42,296	56,35,855	7,75,78,151

अत: अंतिम लेखों में कराने प्राप्तियां और भुगतान दोनों ७७५.७८ लाख रूपयों को अधिक दर्शाया

(घ) सामान्य

घ.१ कारा ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र में सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान अग्रिम की राशि तथा अनुदान के अव्ययित भाग पर अर्जित ब्याज को नहीं दर्शाया। अत: इस राशि का आने वाले वर्षो में प्रयोग करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

घ.२ वर्ष २०१२-१३ के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर एवं जुड़नार खरीदा गया लेकित मद-वार ब्यौरा नहीं रखा गया। ब्यौरे के अभाव में, इन परिसंपत्तियों की वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित है।

ड) सहायता अनुदान

०१.04.2015 से १४.०१.२०१६ की अवधि के दौरान कारा द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान व्यय और अव्ययित शेष का ब्यौरा निम्न है:

विवरण	योजना	गैर योजना	कुल
प्राप्त अनुदान	442.41	185.00	627.41
पिछले वर्ष की अव्ययित राशि	7.59	शून्य	7.59
कुल उपलब्ध निधि	450.00	185.00	635.00
व्यय	305.57	147.92	453.49
वर्ष के अंत तक अव्ययित राशि	144.43	37.08	181.51

अत: १४.०१.२०१६ की लेखांकन अवधि के समाप्त होने तक, कारा का अंत शेष १८१.५१ लाख रूपये था।

च) प्रबंधन पत्र-
जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, वे उपचारी/शोधक कार्यवाही के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई है।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणीओं के अध्यधीन हम यह जानकारी देते है कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान लेखे पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते है जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप है।

क) जहां तक इसका संबंध १४.०१.२०१६ की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

लेखापरीक्षा महानिदेशक
केंद्रीय व्यय

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक ०३.०८.२०१७

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्पता

सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्पता

- सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि २००७-२००८ से २०१२-१३ की अवधि के ६ लेखापरीक्षा पैरा बकाया है।
- परिसंपत्तियों, पुस्तकालय को किताबों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं किया गया।
- वर्ष २०१२-१३ के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर और जुड़नार खरीदा गया लेकिन मदवार ब्यौरा नहीं रखा गया ब्यौरे के अभाव में इन परिसंपत्तियों के वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।
- सामान्य भविष्य निधि में किया गया निवेश वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त पर दृष्टि डालते हुए, यह आवश्यक है कि कारा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन २७.०५.२०१४ तक किया गया।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

- · पुस्तकों का सत्यापन ०९;०७.२०१४ तक किया गया।
- · लेखन समग्री तथा उपभोग्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन ३१.०३.२०१४ तक किया गया।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देनदारियों जैसे की आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्ययी बीमा के संबंध में १४.०१.२०१६ को ६ माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

कारा

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

14.01.2016 को वित्तीय विवरण

(01.04.2015 से 14.01.2016 के लिए)

वेस्ट ब्लॉक-8, विंग II, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066 | टोल फ्री नंबर 1800 111 311 | दूरभाष नंबर : 011 26180194 | ई मेल : carahdesk.wcd@nic.in

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

14 जनवरी, 2016 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	102,290,169.00	(3,609,548.00)	98,680,621.00	4,321,917.00	1,557,782.00	5,879,699.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	-	-	-	77,634,205.00	(2,364,631.00)	75,269,574.00
चिह्नित/अक्षय निधि	3						
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4						
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5						
विलंबित ऋण देयताएं	6						
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	15,341,997.00	16,383,012.00	31,725,009.00	1,558,738.00	11,706,546.00	13,265,284.00
व्यय पर आय का आधिक्य							
कुल		117,632,166.00	12,773,464.00	130,405,630.00	83,514,860.00	10,899,697.00	94,414,557.00
परिसंपत्तियां							
अचल परिसंपत्तियां	8	3,358,537.00	727,108.00	4,085,645.00	3,915,631.00	1,406,549.00	5,322,180.00
चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश	9						
निवेश - अन्य	10		6,537,444.00	6,537,444.00		6,333,100.00	6,333,100.00
मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	114,273,629.00	5,508,912.00	119,782,541.00	79,599,229.00	3,160,048.00	82,759,277.00
विविध व्यय							
(बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)							
कुल		117,632,166.00	12,773,464.00	130,405,630.00	83,514,860.00	10,899,697.00	94,414,557.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण (2)

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

01.04.2015 से 14.01.2016 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
बिक्री/सेवाओं से आय	12			-			
अनुदान/सहायिकी	13	30,436,238.00	14,782,621.00	45,218,859.00	37,374,560.00	17,713,463.00	55,088,023.00
शुल्क/अभिदान	14						
निवेश से आय (निवेश से आय चिह्नित/अक्षय निधि से)	15						
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16						
अर्जित ब्याज	17	265,991.00	121,003.00	386,994.00	729,490.00	612,872.00	1,342,362.00
अन्य आय	18		130,740.00	130,740.00	-	77,140.00	77,140.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19			-			-
और चालू कार्य				-			-
कुल (क)		30,702,229.00	15,034,364.00	45,736,593.00	38,104,050.00	18,403,475.00	56,507,525.00
व्यय							
स्थापना व्यय	20		14,118,446.00	14,118,446.00		16,150,583.00	16,150,583.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	9,811,088.00	3,039,176.00	12,850,264.00	36,938,454.00	4,773,992.00	41,712,446.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22			-			-
ब्याज	23						
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत मे निवल योग - अनुसूची-8 के अनुरूप)		677,337.00	689,229.00	1,366,566.00	406,286.00	151,233.00	557,519.00
कुल (ख)		10,488,425.00	17,846,851.00	28,335,276.00	37,344,740.00	21,075,808.00	58,420,548.00
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		20,213,804.00	(2,812,487.00)	17,401,317.00	759,310.00	(2,672,333.00)	(1,913,023.00)
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण			-			-	-
पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य/(घाटा) के कारण शेष		20,213,804.00	(2,812,487.00)	17,401,317.00	759,310.00	(2,672,333.00)	(1,913,023.00)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

01 अप्रैल, 2015 से 14 जनवरी, 2016 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(I)हाथ शेष :							**(I) व्यय:**						
(क) हाथ रोकड	12,422	14,010	26,432	16,624	19,036	35,660	(क) स्थापना व्यय		12,639,889	12,639,889		12,654,261	12,654,261
)ख) बैंक में जमा राशि			-			-							
(i)चालू खातों में (अव्ययित शेष)			-			-							
(ii) जमा खातों में						-							
(iii) बचत खाता (सिंडिकेट बैंक)	101,694	915,877	1,017,571	2,108,201	1,309,283	3,417,484							
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	644,408		644,408	5,395,392	-	5,395,392							
आईडीबीआई बैंक		29,964	29,964	-	28,800	28,800							
पिछले वर्ष के अग्रिम का समायोजन	78,840,705	2,200,197	81,040,902	77,579,857	2,579,733	80,159,590							
(II) प्राप्त अनुदान :							(ख) प्रशासनिक व्यय	9,712,403	3,548,858	13,261,261	36,938,454	5,080,438	42,018,892
(क) भारत सरकार से :-							(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान			-			-
I) राजस्व व्यय	44,120,812	18,490,212	62,611,024	30,612,451	17,130,753	47,743,204	**(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों**						
ii) पूंजीगत व्यय	120,243	9,788	130,031	387,549	35,247	422,796	**के लिए किया गया भुगतान :**						
(ख) राज्य सरकार से						-	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान						
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						-	के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना						
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान						-	का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए)						
अलग से दर्शाया जाए)						-							
(III) निवेश पर निम्नलिखित से आय :						-	**(III) किया गया निवेश और जमा :**						
(क) चिह्नित/ अक्षय निधि						-	(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से			-			
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)		6,333,100	6,333,100		3,881,122	3,881,122	(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		6,537,444	6,537,444		4,743,992	4,743,992
(IV) प्राप्त ब्याज :						-	**(IV) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और**						
(क) बैंक जमा राशि पर :						-	**चालू कार्य में पूंजी**						
(ख) ऋण, अग्रिम आदि							(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	120,243	9,788	130,031	387,549	35,247	422,796
(ग) बचत खाता	265,991	121,003	386,994	729,490	612,872	1,342,362	(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
पोद्भूत ब्याज (वर्ष के दौरान)			-			-							
(V) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	**(V) ऋण और अग्रिम :**						
विविध : प्राप्तियां		130,500	130,500	-		-							
अंतरराष्ट्रीय बैठक पंजीकरण शुल्क			-			-	(क) भारत सरकार को						
अन्य आय			-	95,668		95,668	(ख) राज्य सरकार को						
आरटीआई के लिए प्राप्ति		240	240		405	405	(ग) अन्य को	99,830,531	1,801,321	101,631,852	78,840,705	2,200,197	81,040,902
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट			-			-							
(VI) उधार ली गई राशि :						-	**(VI) वित्तीय प्रभार (ब्याज) :**						
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां						-	**(VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) :**						
(ब्यौरा दें) :						-							
प्रतिभूति जमा			-			-	**(VIII) अंत शेष :**						
							(क) हाथ रोकड	7,250	8,118	15,368	12,422	14,010	26,432
एफएससी		-	-	-	76,735	76,735	(ख) बैंक में जमा राशि :			-			
							(i)चालू खातों में						
							(ii) जमा खातों में						
							(iii) बचत खातों में (यूबीआई)	12,522,948		12,522,948	644,408		644,408
							आईडीबीआई		30,565	30,565		29,964	29,964
							सिंडिकेट बैंक	1,912,900	3,668,908	5,581,808	101,694	915,877	1,017,571
कुल	**124,106,275**	**28,244,891**	**152,351,166**	**116,925,232**	**25,673,986**	**142,599,218**	**कुल**	**124,106,275**	**28,244,891**	**152,351,166**	**116,925,232**	**25,673,986**	**142,599,218**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि :						
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,321,917.00	1,557,782.00	5,879,699.00	3,934,368.00	1,522,535.00	5,456,903.00
जोड़ें : कॉरपस / पूंजीगत निधि में अंशदान	120,243.00	9,788.00	130,031.00	387,549.00	35,247.00	422,796.00
जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन						
जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष /(व्यय)	77,634,205.00	(2,364,631.00)	75,269,574.00			
घटाएं : अथ शेष						
आय एवं व्यय लेखा	20,213,804.00	(2,812,487.00)	17,401,317.00			-
घटाएं : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित						-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**102,290,169.00**	**(3,609,548.00)**	**98,680,621.00**	**4,321,917.00**	**1,557,782.00**	**5,879,699.00**
अनुसूची 2 - रिजर्व एव अधिशेष :						
1. पूंजीगत रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार	77,634,205.00	(2,364,631.00)	75,269,574.00	76,874,895.00	307,702.00	77,182,597.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि			-	759,310.00	(2,672,333.00)	(1,913,023.00)
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	77,634,205.00	2,364,631.00	79,998,836.00		-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
3. विशेष रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
4. सामान्य रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
		-				
कुल	-	-		**77,634,205.00**	**(2,364,631.00)**	**75,269,574.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी 2016 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान						
क. वर्तमान देयताएं						
अव्ययित सहायता अनुदान	14,443,098.00	3,707,591	18,150,689.00	758,524.00	-	758,524.00
व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	704,546.00		704,546.00	704,546.00	520,662.00	1,225,208.00
अशोक टूर एण्ड ट्रैवल्स	38,266		38,266.00			-
ईपीएफ संगठन		237,156	237,156.00		42,650.00	42,650.00
प्रतिभूति जमा		10,000	10,000.00		-	-
टीडीएस संविदाकार	8,210	10,551	18,761.00		2,085.00	2,085.00
टाडीएस व्यावसायिक/वेतन	52,209	5,000	57,209.00		10,400.00	10,400.00
टेरेदेसहोमेमेस (लाउसेने)	33,620.00	-	33,620.00	33,620.00		33,620.00
द बार्कर फाउंडेशन यूएसए	33,641.00	-	33,641.00	33,641.00		33,641.00
अग्रिम जमा राशि		10,000	10,000.00			
श्री संजय कुमार डीईओ		64	64.00			
टीए के लिए देय राशि	28,407.00	-	28,407.00	28,407.00	-	28,407.00
कुल क	**15,341,997.00**	**3,980,362**	**19,322,359**	**1,558,738.00**	**575,797.00**	**2,134,535.00**
ख प्रावधान						
1. कराधान के लिए						
2. उपदान	-	6,523,231	6,523,231.00	-	5,594,165	5,594,165.00
3. अधिवर्षिता / पेंशन						
4. संचित छुट्टी नकद भुगतान	-	5,879,419	5,879,419.00	-	5,536,584	5,536,584.00
5. व्यापार वारंटियां/दावे						
6.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
प्रशासन एवं स्थापना व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'घ')						-
व्यय हेतु प्रावधान						
कुल ख	-	**12,402,650**	**12,402,650**	-	**11,130,749**	**11,130,749**
कुल (क+ख)	**15,341,997.00**	**16,383,012**	**31,725,009**	**1,558,738**	**11,706,546**	**13,265,284**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

(योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - क के अनुसार ब्यौरा — **14.1.2016 की स्थिति के अनुसार**

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	3,384,349	51,438	-	3,435,787	415,119	283,182	-	698,301	2,737,486	2,969,230
6. कार्यालय उपस्कर	98,949	14,805	-	113,754	445	10,688		11,133	102,621	98,504
7. कम्प्यूटर/ कम्प्यूटरी से जुडी वस्तुएं	1,820,321	54,000	-	1,874,321	972,424	383,467	-	1,355,891	518,430	847,897
8. विद्युत संस्थापना	-		-	-	-		-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें			-	-		-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				-						
कुल	**5,303,619**	**120,243**	-	**5,423,862**	**1,387,988**	**677,337**	-	**2,065,325**	**3,358,537**	**3,915,631**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									-	
कुल जोड़									**3,358,537**	**3,915,631**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

(गैर-योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - ख के अनुसार ब्यौरा — **14.1.2016 तक की स्थिति के अनुसार**

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर the year	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर the year	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	1,940,433		1,430,012	510,421	1,492,593	31,792	1,169,135	355,250	155,171	447,840
6. कार्यालय उपस्कर	1,627,139	9,788	672,942	963,985	802,013	156,843	529,679	429,177	534,808	825,126
7. कम्प्यूटर/ कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं	2,349,549	-	2,231,056	118,493	2,216,278	25,178	2,159,780	81,676	36,817	133,271
8. विद्युत संस्थापना	-		-	-	-		-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	50,740		-	50,740	50,428		-	50,428	312	312
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				-						
कुल	**5,967,861**	**9,788**	**4,334,010**	**1,643,639**	**4,561,312**	**213,813**	**3,858,594**	**916,531**	**727,108**	**1,406,549**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									-	
कुल जोड़	**5,967,861**	**9,788**	**4,334,010**	**1,643,639**	**4,561,312**	**213,813**	**3,858,594**	**916,531**	**727,108**	**1,406,549**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 -

14 जनवरी 2016 तक की अवधि/ को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 9 - अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश :						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
कुल			-			-
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य :						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है						
मियादी जमा (सिंडिकेट बैंक के पास)	-	6,537,444.00	6,537,444.00		6,333,100.00	6,333,100.00
कुल	-	**6,537,444.00**	**6,537,444.00**	-	**6,333,100.00**	**6,333,100.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क. चालू परिसंपत्तियां :						
1. संपत्ति - सूची :						
क) भंडार एवं अतिरिक्त		-			-	
ख) खुले औजार		-			-	
ग) स्थायी खजाना						
तैयार माल		-			-	
प्रगति में कार्य		-			-	
कच्चा माल		-	-		-	-
कुल						
2. विविध देनदार :						
क) छः माह से अधिक अवधि के ऋण						
ख) अन्य						-
3. हस्तगत बकाया रोकड (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	7,250.00	8,118.00	15,368.00	12,422.00	14,010.00	26,432.00
4. बैंक में जमा राशि :						
क) अनुसूचित बैंकों में :						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)						
* बचत खातों में	14,435,848.00	3,699,473.00	18,135,321.00	746,102.00	945,841.00	1,691,943.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में						
* बचत खातों में						
कुल						-
5. डाकघर- बचत खाते			-			-
कुल	**14,443,098.00**	**3,707,591.00**	**18,150,689.00**	**758,524.00**	**959,851.00**	**1,718,375.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)						
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां						
1. ऋण :						
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')	17,200.00	191,148.00	208,348.00		240,000.00	240,000.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं						
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाना						
क) पूंजीगत खाते में						
ख) पूर्व भुगतान						
ग) अन्य :						
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरुकता	5,728,879.00	1,405.00	-	5,004,483.00	1,405.00	5,005,888.00
एनआईसी	4,793,083.00	-	5,730,284.00	4,793,083.00	114,689.00	4,907,772.00
के.लो.नि.वि.	6,970,717.00	1,246,215.00	4,793,083.00	6,970,717.00	1,146,215.00	8,116,932.00
लीज लाइन के लिए भुगतान किया अग्रिम (एमटीएनएल एवं एनआईसीएसआई)	667,240.00		8,216,932.00	934,996.00		934,996.00
प्रतिभूति जमा (फोन)		143,000.00	667,240.00		120,000.00	120,000.00
डीएवीपी	56,288,323.00		143,000.00	56,288,323.00		56,288,323.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम		52,083.00	56,288,323.00		10,456.00	10,456.00
एनआईसीएसआई	6,825,710.00		52,083.00	4,112,411.00		4,112,411.00
एनआईडी खाता		-	6,825,710.00		250,000.00	250,000.00
डी.जी.एस. एण्ड डी.	1,731,379.00	1,791.00	-	728,692.00	1,791.00	730,483.00
सम्पदा निदेशालय	8,000.00		1,733,170.00	8,000.00		8,000.00
एनसीडब्ल्यू		-	8,000.00		23,146.00	23,146.00
सीआईडीपीएचओ भोपाल		18,000.00	-		18,000.00	18,000.00
राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम	16,800,000.00					
3. उपार्जित आय :						
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए						
ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर)		147,679.00			270,902.00	270,902.00
ग) ऋणों एवं अग्रिम से						-
घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रुपये........- भी शामिल है					3,593.00	3,593.00
अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य						-
कुल						
4. दावों को प्राप्त करने योग्य						
कुल (ख)	**99,830,531.00**	**1,801,321.00**	**84,666,173.00**	**78,840,705.00**	**2,200,197.00**	**81,040,902.00**
कुल (क+ ख)	**114,273,629.00**	**5,508,912.00**	**119,782,541.00**	**79,599,229.00**	**3,160,048.00**	**82,759,277.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 12 - बिक्री और सेवाओं से आय :						
1) बिक्री से आय			-			-
क) तैयार माल की बिक्री			-			-
ख) कच्चे माल की बिक्री			-			-
ग) रद्दी माल की बिक्री			-			-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार			-			-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा			-			-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली			-			-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			-			-
ड) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल	-	-	-	-	-	-
अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी						
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)						
जोड़ें:- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान	758,524	-	758,524	7,520,633	582,710	8,103,343
1) केंद्र सरकार	44,241,055	18,500,000	62,741,055	31,000,000	17,166,000	48,166,000
घटायें- अव्ययित अनुदान	14,443,098	3,707,591	18,150,689	758,524	-	758,524
घटायें- पूंजी निधि में अंतरित राशि	120,243	9,788		387,549	35,247	
2) राज्य सरकार (रें)						-
3) सरकारी अभिकरण						-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय						-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन						-
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						-
कुल	**30,436,238**	**14,782,621**	**45,218,859**	**37,374,560**	**17,713,463**	**55,088,023**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि			-			-
1) रायल्टी से आय			-			-
2) प्रकाशन से आय			-			-
3)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
			-			-
कुल						
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज						
1) मियादी जमा पर :			-			-
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)			-			-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से			-			-
ग) संस्थाओं से			-			-
घ) अन्य			-			-
2) बचत खातों पर :	265,991	121,003	386,994	729,490	612,872	1,342,362
क) अनुसूचित बैंको से						-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से						-
ग) संस्थाओं से						-
घ) अन्य						-
3) ऋणों पर :	-		-	-		-
क) कर्मचारी/स्टाफ						-
ख) अन्य						-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज						
कुल	**265,991**	**121,003**	**386,994**	**729,490**	**612,872**	**1,342,362**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 18 - अन्य आय :						
1)परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						-
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां						-
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						-
2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन						-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						-
4) विविध आय		130,500	130,500	-	-	-
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री						-
फ्रेंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट						-
आरटीआई शुल्क		240	240	-	405	405
विदेश सेवा योगदान			-	-	76,735	76,735
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)	-	-	-	-	-	
कुल	-	**130,740**	**130,740**	-	**77,140**	**77,140**
अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)						
क) अंत स्टॉक						
i) तैयार माल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
i)तैयार मल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :						
क) वेतन और मजदूरी		11,724,727	11,724,727		10,508,537	10,508,537
जनशक्ति प्रभार		-	-		-	-
ख) भत्ते, बोनस और मानदेय		48,781	48,781		46,190	46,190
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		96,000	96,000		349,500	349,500
घ) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान			-		1,652,454	1,652,454
ड) चिकित्सा व्यय		378,752	378,752		189,970	189,970
च) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय			-		68,120	68,120
छ) यूनीफार्म प्रभार			-		-	-
ज) भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान			-		970,081	970,081
झ) ईडीएलआई (पीएफ)			-		47,050	47,050
ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार			-		104,463	104,463
एफएससी			-		27,337	27,337
पट्टा किराया		598,285	598,285		313,508	313,508
ट) समायोपरि भत्ता			-			-
उपदान प्रावधान		929,066	929,066		1,873,373	1,873,373
संचित छुट्टी वेतन प्रावधान		342,835	342,835			-
कुल क+ख	-	**14,118,446**	**14,118,446**	-	**16,150,583**	**16,150,583**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय						
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		19,327	19,327		44,514	44,514
कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव		55,426	55,426		163,721	163,721
वाहन किराया (कार)		790,429	790,429		804,011	804,011
डाक और तार प्रभार		87,097	87,097		140,987	140,987
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		91,164	91,164		436,551	436,551
यात्रा व्यय		284,841	284,841		315,444	315,444
वाहन व्यय		24,852	24,852		13,469	13,469
बैठक व्यय		58,798	58,798		84,362	84,362
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी		135,813	135,813		121,127	121,127
परामर्श सेवा प्रभार	4,646,355		4,646,355	4,384,850	-	4,384,850
बैंक प्रभार	147	1,397	1,544	1,661	1,433	3,094
कार्यालय व्यय		66,035	66,035		78,763	78,763
विज्ञापन एवं प्रचार	409,450		409,450	28,216,082	-	28,216,082
टैलीफोन प्रभार		265,269	265,269		297,398	297,398
वार्षिक बैठक व्यय			-	1,999,998	-	1,999,998
लेखापरीक्षा शुल्क		123,005	123,005		113,738	113,738
आतिथ्य		18,774	18,774		36,000	36,000
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		1,200	1,200		-	-
प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम व्यय	2,420,680		2,420,680	2,181,617	169,002	2,350,619
जल एवं विद्युत प्रभार		34,890	34,890		42,600	42,600
सुरक्षा एवं सफाई व्यय		621,532	621,532		1,020,976	1,020,976
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव			-	2,660		2,660
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री		1,700	1,700	77,668	48,941	126,609
केयरिंग्स एवं परामर्श प्रभार	1,297,184		1,297,184	56,611	-	56,611
बैठक शुल्क खाता		206,500	206,500		668,450	668,450
हिंदी पखवाड़ा व्यय		41,000	41,000		39,000	39,000
सम्मेलन एवं प्रदर्शनी व्यय			-	2,240		2,240
सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग व्यय	105,069	99,394	204,463		89,011	89,011
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव		10,733	10,733		44,494	44,494
निशुल्क हैल्पलाइन व्यय	486,925	-	486,925	15,067		15,067
निरीक्षण और निगरानी व्यय	236,705	-	236,705	-	-	-
शोध एवं मूल्यांकन व्यय	208,573	-	208,573	-	-	-
कुल जोड़	**9,811,088**	**3,039,176**	**12,850,264**	**36,938,454**	**4,773,992**	**41,712,446**

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक-८, विंग-२, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००६६

14 जनवरी, २०१६ को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची – २४

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

१. लेखांकन रीति :
वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन आधार पर से तैयार किए गए हैं।
२. सामान सूची का मूल्यांकन :
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
३. निवेश :
"दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।
४. स्थायी परिसंपत्तियां :
4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आवक माल भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।
4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गईं स्थायी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।
५. मूल्यह्रास :
5.1 मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता है ।
क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया जाता है।
ख. ५०००/- रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।
ग. स्थायी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के ५% की दर पर किया गया है।
घ. यथा परिकलित कुल मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर दो भागों में यथा 1. 01.04.२०१५ से १४.०१.२०१६ २. १५.०१.२०१६ से ३१.०३.२०१६ में बाटा गया है।

6. सरकारी अनुदान/सहायिकी:
६.१ सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।
६.२ केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।

7. पट्टा :

पट्टा किराए की राशि पटटे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

8. सेवानिवृत्ति लाभ :

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना और यथानुपात आधार अर्थात ०१.०४.२०१५ से १४.०१.२०१६ पर उपार्जित की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इसका परिकलन वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर अर्थात ०१.०४.२०१५ से १४.०१.२०१६ पर किया जाता है।

९. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अतंर्गत एक सोसायटी के रूप में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के १४.०१.२०१६ के तुलन पत्र में सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतशेष को सांविधिक निकाय के रूप में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के ३१.०३.२०१६ के तुलन पत्र में अथशेष के रूप में लिया गया है।

१०. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अतंर्गत कारा को १४.०१.२०१६ तक पंजीकृत किया गया था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे एक्ट) द्वारा कारा को एक सांविधिक निकाय में परिवर्तित किया गया था सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, के अतंर्गत ०१.०४.२०१५ से १४.०१.२०१६ तक और जे.जे.एक्ट के उपबंधो के अनुसरण में १५.०१.२०१६ से ३१.०३.२०१६ तक वित्तीय विवरण तैयार किये गये है।

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक-८, विंग-२, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००६६

14 जनवरी, २०१6 को समाप्त अवधि के लेखों से संबंधित अनुसूचियां

अनुसूची - २५

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

१. १४ जनवरी, २०१6 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।

२. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।

३. आय कर अधिनियम, १९६१ के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

४. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: वर्गीकृत/ पुनर्योजित किया गया है।

५. अनुसूची १ से २५ संलग्न हैं और वे १४ जनवरी, २०१6 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम

14.01.2016 तक की स्थिति

अनुलग्नक -ख

क्रम.सं.	गैर सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तिथि	राशि	
			गैर योजना	योजना
1	महानिदेशक, आरसीवीपी, नीरहना अकादमी			
2	प्रशासन अकादमी, भोपाल	13.11.2006	1,405	
3	आईसीसीडब्लयू, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008		618,860
4	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, रायपुर	22.08.2008		164,320
5	यशोदा पुणे			55,000
6	निदेशक डब्ल्यूसीडी, रायपुर	03.06.2010		164,320
7	निदेशक डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ	18.06.2010		164,320
8	निदेशक, समाज कल्याण पटना, बिहार	09.02.2011		228,396
9	निदेशक डब्ल्यूसीडी,आंध्र प्रदेश	24.02.2011		248,808
10	निदेशक, समाज कल्याण, रांची	14.07.2011		92,336
11	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011		99,704
12	आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलुरु, कर्नाटक	20.10.2011		54,400
13	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, असम	03.02.2012		90,515
14	कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसायटी	25-6-2012		75,400
15	डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ	3/10/2012		106,172
16	निदेशक समाज कल्याण विभाग रांची	5/29/2013		100,000
17	निदेशक, महाराष्ट्र बाल राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	6/4/2013		158,000
18	निदेशक, समाज कल्याण, पश्चिम बंगाल (सिलीगुडी कार्यक्रम)	06.06.2013		158,000
19	निदेशक डब्ल्यूसीडी बैंगलोर	26.06.2013		110,017
20	चैयरमैन, वीसीए, हैदराबाद	1/17/2014		36,585
21	निदेशक, समाज कल्याण मिजोरम	11/21/2014		228,528
22	निदेशक, समाज कल्याण मणिपुर	31.01.2014		101,179
23	निदेशक, समाज कल्याण पश्चिम बंगाल कोलकाता	25.03.2014		195,648
24	निदेशक, समाज कल्याण विभाग यूपी (महिला कल्याण समिति)	18.09.2014		107,656
25	निदेशक, समाज कल्याण विभाग पटना	20.11.2014		232,986
26	आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014		237,510
27	निदेशक, समाज कल्याण केरल	1/15/2015		233,504
28	निदेशक समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण सोसायटी पश्चिम बंगाल	27.2.2015		84,460
29	निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015		109,592
30	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई)	04.07.2015		180,250
31	निदेशक, समाज कल्याण विभाग तमिलनाडु	14.08.2015		197,728
32	निदेशक विभाग बाल सशक्तिकरण राजस्थान	04.09.2015		144,320
33	गुजरात बाल संरक्षण सोसायटी अहमदाबाद	13.10.2015		144,000
34	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी नागालैंड	30.10.2015		160,185
35	निदेशक राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	06.11.2015		186,306
36	निदेशक समाज कल्याण और बाल संरक्षण सोसायटी	10.12.2015		199,490
37	निदेशक, समाज कल्याण देहरादून, उत्तराखंड	12/15/2015		107,120
38	निदेशक, समाज कल्याण विभाग हिमाचल	14.12.2015		153,264
	कुल		**1,405**	**5,728,879**

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम

	कर्मचारी का नाम	बकाया राशि 14.1.2016 तक की स्थिति	बकाया राशि 31.3.2015 तक की स्थिति	
क	त्यौहार अग्रिम			
	श्री प्रमोद कूमार		2250	
	श्री रितेश आहूजा, डीईओ	3600	2,250	
	श्री संजय कूमार,डीईओ	3,600	2,250	
	श्री देवेंद्र कूमार	3,600	2,250	
	श्री रवि रावत, डीईओ	3,600	2,250	
	श्री बलजीत सिंह	3,600	2,250	
	श्री विजय सिंह		2,250	
	श्री भगत, चपरासी	3,600	2,250	
	कुल क		**18,000**	
ख	कम्प्यूटर अग्रिम			
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक		**7,600**	
ग	कार अग्रिम	3,600		
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक		**63,900**	
घ	स्कूटर अग्रिम	52,700		
	श्री विजय सिंह, स्टेनो		21,000	
	श्री संजय कूमार,डीईओ	16,000	25,000	
	श्री रितेश आहूजा, डीईओ	20,000	26,000	
	श्री सी.एस भगत, एलडीसी	21,000		
	श्री प्रमोद कूमार,डीईओ	29,000		
	श्री रवि रावत, डीईओ			
ङ	एलटीसी अग्रिम	12,000		
	श्रीमती सी. सरस्वती, उप निदेशक		**78,500**	
च	स्टाफ अग्रिदाय			
	श्रीमती सी. सरस्वती, उप निदेशक			
	गुलशन सिंह, पीएस	2,000		
	रवि रावत, सहायक	2,000		
	संजय, डीईओ	2,000		
		15		
छ	वाहन भत्ता अग्रिम			
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक			
		9,233		
	कुल ख	**191,148**	**168,000**	
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**191,148**	**186,000**	

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

14 जनवरी 2016 तक व्यय हेतु प्रावधान

योजना

विवरण	राशि	
पिछले वर्ष का प्रावधान (बकाया)	704546.00	
कूल	**704,546.00**	

D.O. No. AMG-III/4-79/SAR/CARA/2017-18/787

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

सत्यमेव जयते

राजेश अस्थाना
निदेशक (ए.एम.जी.-III)

दिनांक : 03.08.2017

Respected Sir,

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के अवधि 15.01.2016 से 31.03.2016 के लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी.-III/4-79/एस.ए.आर./सी.ए.आर.ए./2017-18/786 दिनांक 03.08.2017 को जारी कर दिया गया है | लेखापरीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है | इन विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है |

अत: इन पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन विसंगतियों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये |

सादर

आपका शुभेच्छु

राजेश अस्थाना

संलग्नक: यथोपरि |

कर्नल दीपक कुमार
सदस्य सचिव एवं सी. ई. ओ. ,
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम
दिल्ली-110066.

Telephone : 91-11-23454100, Fax : 91-11-23702271, e-mail : dgacr@cag.gov.in

अनुलग्नक

(दिनांक ०३.०८.२०१७ की अर्धशासकीय पत्र सं. एएमजी III/४.७९/एसएआर/कारा/२०१७-१८/७८९)

1. अनुसूची-७ (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) में कारा की देयताओं में ३३,६२० रूपये टेरे देस होमेमेस (लाउसेने) और ३३,६४१ रूपये द बार्कर फाउंडेशन (यूएसएसए) को दिया गया दर्शाया गया है। चूंकि इन संस्थाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया है परुन्तु व्यय की वापसी इन संस्थाओं के नाम पर दर्ज है, राशि को कारा की आय के रूप में लिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप देयताओं को अधिक तथा आय को कम दर्शाया गया इसकी और पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा में भी इंगित किया गया था परन्तु कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

'

2. अथशेष शीर्ष के प्राप्तियों वाले भाग को सिंडीकेट बैंक लेखा (योजना निधि के लिए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेखा (गैर योजना निधि के लिए) के अथशेष में और उसके समकक्ष दर्शाया गया। इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

By: SPEED POST

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23454329 फैक्स/Fax 23702271 ईमेल / Email: amg3hq@gmail.com

संख्या/No. AMG-III/4-79/SAR/CARA/2017-18/785 **दिनांक/Dated:** 02.08.2017

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय: वर्ष 15.01.2016 से 31.3.2016 तक के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन |

महोदय / महोदया

मैं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 15.01.2016 से 31.3.2016 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करता हूँ |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए | कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए |

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है | पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है | यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा |"

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि |

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

By: SPEED POST

संख्या/No. AMG-III/4-79/SAR/CARA/2017-18/786 **दिनांक/Dated** 02.08.2017

प्रतिलिपि: कर्नल दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं सी॰ ई॰ ओ॰, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम दिल्ली-110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

अनुलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

१५.०१.२०१६ से ३१.०३.२०१६ की अवधि के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा २०(१) के तहत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के १४ जनवरी, 2016 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एंव व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षक को २०१५-१६ की अवधि का कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण,सर्वोत्तम लेखांकन पद्धितयों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई है कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता- सह- निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से दी जाती है।

3 हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में रूढ़ लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परिक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनायें गए लेखाकंन सिद्धांतो और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते है कि;

i. हमने वह सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों/प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुसार तैयार किए गए है।

iii. हमार विचार से, प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉडों का रख-रखाव उपयुक्त रूप में किया जाता है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते है:

क तुलन पत्र:

क.१ देयतायें

क.१.१ निवेश (अनुसूची-१०) ७२.३७ लाख रूपये

तुलन पत्र की अनुसूची ७ के अनुसार, 31.3.2016 तक की वास्तविक गणना के आधार पर 'अवकाश वेतन और उपदान अंशदान' के लिए १२५.८४ लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। हालांकि कारा ने अवकाश वेतन और उपदान अंशदान के लिए ७२.३७ लाख रूपये का निवेश किया। अत:, इस लेखे के लिए ३१.०३.२०१६ तक उपलब्ध निधि में ५३.४७ लाख रूपये का अभाव था।

ख. आय और व्यय

ख.१ आय

ख.१.१. अर्जित ब्याज (अनुसूची-१७) - ८.६६ लाख रुपये

कारा ने २०१५-१६ के वित्तीय वर्ष को दो लेखाकंन अवधियों ०१.०४.२०१५ से १४.०१.२०१६ में विभाजित किया इसके निवेश पर ८.६६ लाख रूपयों के अर्जित ब्याज को दर्शाया गया इसमें से ३३.७१ लाख (गैर-योजना) पर ब्याज १४.०१.२०१६ की लेखाकंन अवधि के दौरान अर्जित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ३१.०३.२०१६ तक की अवधि में दर्शाई गई बीमाकिंक गणना में आय और वर्तमान परिसंपत्तियों में ३.७१ लाख रूपयों को अधिक दर्शाया गया।

ख.२ व्यय

ख.२.१ स्थापना व्यय (अनुसूची-२०) – ३५.२७ लाख रूपये

ख.२.१.१ अनुसूची-२० स्थापना व्यय में दर्शाये गये निम्नलिखित आंकडे लेजर शेष/ट्रायल शेष से संबंधित नहीं था।

राशि रूपयों में

विवरण	गैर–योजना (अनुसूची–20 के अनुसार)	गैर–योजना (लैजर शेष और ट्रायल शेष के अनुसार)
क) वेतन और मजदूरी	26,25,091	22,15,390
ख) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	192,000	1,92,000
ग) पेंशन और अवकाश वेतन अंशदान	–	21038
घ) चिकित्सा व्यय	115,116	115116
ड) एलटीसी व्यय	–	107261
च) भविष्य निधि में कर्मचारी का योगदान	–	189938
छ) ईडीएलआई (पीएफ)	–	13194
ज) ईपीएफ प्रशासनिक प्रभार	–	29293
झ) एफएससी	328,527	328527
ञ) पट्टा किराया	133,216	133216
ट) उपदान प्रावधान	132,724	132724

उपरोक्त अंतर में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

ख २.१.२ 'स्थापना व्यय-गैर-योजना' के शीर्ष के अधीन आय में व्यय तथा व्यय को १.२१ लाख रूपये कम दर्शाया गया

ख २.२ मूल्यह्रास (अनुसूची-८) १.३७ लाख रूपये
स्थायी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास १.५ माह की बजाय २.५ माह पर लगाया गया मूल्यह्रास की गलत गणना के कारण व्यय को कम और स्थायी परिसंपत्तियों को ०.७६ लाख रूपये अधिक दर्शाया गया।

ग प्राप्तियां और भुगतान

ग.१ प्राप्तियां और भुगतान लेखों मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को दर्शाया गया, जो वास्तव में इन लेखों के लेजर अब शेष (प्राप्तियों वाला भाग) और अंत शेष (भुगतान वाला भाग) से संबंधित नहीं थे:-

राशि रूपयों में

प्राप्तियां			
विवरण	योजना	गैर–योजना	कुल
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन	9,98,30,531	18,01,321	10,61,31,852
ख निधि (अन्य निवेश I) पर निवेश से आय	–	65,37,444	65,37,444
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव क1	9,98,30,531	83,38,765	10,81,69,286
भुगतान			
ऋण और अग्रिम–अन्य	7,82,36,647	19,75,215	8,02,11,862
ख निधि से कयिा गया निवेश ओर जमा	–	72,36,709	72,36,709
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव क2	7,82,36,647	92,11,924	8,74,48,571

हालांकि (i) ट्रायल शेष और (ii) निवेश रजिस्ट्रर (एफडीआर) के अनुसार इन दो प्रविष्टियों का वास्तविक मूल्य नीचे दिया गया है:-

राशि रूपयों में

प्राप्तियां			
विवरण	योजना	गैर–योजना	कुल
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन	3,33,25,947	1,44,378	3,34,70,325
ख निधि (अन्य निवेश I) पर निवेश से आय		35,71,283	35,71,283
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव ख1	3,33,25,947	37,15,661	3,70,41,608
कारा द्वारा दी गई प्रविष्टियों पर प्रभाव क1	9,98,30,531	83,38,765	10,81,69,296
प्राप्तियों की अधिकता क1–ख1	6,65,04,584	46,23,104	7,11,27,688
भुगतान			
ऋण और अग्रिम	1,17,32,063	3,18,272	1,20,50,335
ख निधि से किया गया निवेश और जमा		42,70,548	42,70,548
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव क2	1,17,32,063	45,88,820	1,63,20,883
कारा द्वारा की गई प्रविष्टियों का प्रभाव क2	7,82,36,647	92,11,924	8,74,48,571
भुगतान में अधिकता क2 ख2	6,65,04,584	46,23,104	7,11,27,688

अत: अंतिम लेखों में कराने प्राप्तियां और भुगतान दोनों ७७1.2८ लाख रूपयों को अधिक दर्शाया गया।

(घ) सामान्य

घ.१ कारा ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र में सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान अग्रिम की राशि तथा अनुदान के अव्ययित भाग पर अर्जित ब्याज को नहीं दर्शाया। अत: इस राशि का आने वाले वर्षों में प्रयोग करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

घ.२ वर्ष २०१२-१३ के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर एवं जुड़नार खरीदा गया लेकित मद-वार ब्यौरा नहीं रखा गया। ब्यौरे के अभाव में, इन परिसंपत्तियों की वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित है।

घ.३ ३१.०३.२०१६ तक की स्थिति के अनुसार लेखों के योजना शीर्ष के अंतर्गत ७९४.४९ लाख रूपये की राशि को बकाया अग्रिम के रूप में दर्शाया गया। इनमे से, निम्नलिखित अग्रिम बहुत पुराने समय के थे:

राशि लाख रूपयों में

दिया गया अग्रिम	अथशेष	वित्तीय अवधि में दिया गया अग्रिम	स्मायोजित अग्रिम	31 मार्च तक बकाया	प्रयोजन
एनआईसी	47.93	–	–	47.93	ऑनलाइन पोर्टल और रख–रखाव और जनशक्ति की आपूर्ति
एनआईसीएसआई	68.25	52.00	61.92	58.33	
सीपीडब्ल्यूडी	82.17	–	–	82.17	कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव
डीएवीपी	562.88	–	232.34	330.54	प्रकाशन और पब्लिसिटी
एनएफडीसी	168.00	55.45	–	223.45	प्रकाशन और पब्लिसिटी
डीजीएस और डी	17.33	–	16.68	0.65	कंप्यूटर की खरीद
विभिन्न गैर सरकारी संस्थान	57.30	9.23	15.11	51.42	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम
				794.49	

लेखा परीक्षा में देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बहुत से कार्य जिनके लिए अग्रिम दिया गया था- जैसे कार्यालय की मरम्मत एवं रख-रखाव पूरे किये गये। हालांकि, समायोजित बिलों के अभाव में कारा ने न तो व्यय (राजस्व व्यय) और न ही इस अग्रिम से बनी परिसंपत्तियों के पूंजी (पूंजी व्यय) को दर्ज किया। इसे पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी दिया गया था परंतु कोई भी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

घ.४ वेतन की गणना संगहण आधार की बजाय नकद आधार पर कि गई।

ड) सहायता अनुदान

१५.01.2016 से ३१.०३.२०१६ की अवधि के दौरान कारा द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान व्यय और अव्यययित शेष का ब्यौरा निम्न है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	योजना	गैर योजना	कुल
प्राप्त अनुदान	50.00	38.00	88.00
पिछले वर्ष की अव्ययित राशि	144.43	37.08	181.51
कुल उपलब्ध निधि	194.43	75.08	269.51
व्यय	140.86	68.09	208.95
वर्ष के अंत तक अव्ययित राशि	53.57	6.99	60.56

अत: 31.०3.२०१६ की लेखांकन अवधि के समाप्त होने तक, कारा का अंत शेष 60.५6 लाख रूपये था।

च) प्रबंधन पत्र-

जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, वे उपचारी/शोधक कार्यवाही के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई है।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणीओं के अध्यधीन हम यह जानकारी देते है कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान लेखे पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते है जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप है।

क) जहां तक इसका संबंध 31.०3.२०१६ की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

लेखापरीक्षा महानिदेशक
केंद्रीय व्यय

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक ०३.०८.२०१७

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्पता
सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्पता
- सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि २००७-२००८ से २०१२-१३ की अवधि के ६ लेखापरीक्षा पैरा बकाया है।
- परिसंपत्तियों, पुस्तकालय को किताबों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं किया गया।
- वर्ष २०१२-१३ के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर और जुड़नार खरीदा गया लेकिन मदवार ब्यौरा नहीं रखा गया ब्यौरे के अभाव में इन परिसंपत्तियों के वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।
- सामान्य भविष्य निधि में किया गया निवेश वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त पर दृष्टि डालते हुए, यह आवश्यक है कि कारा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली
स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन २७.०५.२०१४ तक किया गया।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली
- पुस्तकों का सत्यापन ०९.०७.२०१४ तक किया गया।
- लेखन समग्री तथा उपभोग्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन ३१.०३.२०१४ तक किया गया।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता
सांविधिक देनदारियों जैसे की आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्ययी बीमा के संबंध में 31.०3.२०१६ को ६ माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

कारा

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

31.03.2016 को वित्तीय विवरण

(15.01.2016 से 31.03.2016 के लिए)

वेस्ट ब्लॉक-8, विंग II, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066 | टोल फ्री नंबर 1800 111 311 | दूरभाष नंबर : 011 26180194 | ई मेल : carahdesk.wcd@nic.in

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉरपस/पुंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पुंजीगत निधि	1	82,910,900.00	(2,673,927.00)	80,236,973.00	102,290,169.00	(3,609,548.00)	98,680,621.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	-	-	-	-	-	-
चिह्नित/अक्षय निधि	3						
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4						
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5						
विलंबित ऋण देयताएं	6						
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	6,157,314.00	14,417,716.00	20,575,030.00	15,341,997.00	16,383,012.00	31,725,009.00
व्यय पर आय का आधिक्य							
कुल		**89,068,214.00**	**11,743,789.00**	**100,812,003.00**	**117,632,166.00**	**12,773,464.00**	**130,405,630.00**
परिसंपत्तियां							
अचल परिसंपत्तियां	8	5,474,467.00	698,500.00	6,172,967.00	3,358,537.00	727,108.00	4,085,645.00
चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश	9						
निवेश - अन्य	10		7,236,709.00	7,236,709.00		6,537,444.00	6,537,444.00
मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	83,593,747.00	3,808,580.00	87,402,327.00	114,273,629.00	5,508,912.00	119,782,541.00
विविध व्यय							
(बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)							
कुल		**89,068,214.00**	**11,743,789.00**	**100,812,003.00**	**117,632,166.00**	**12,773,464.00**	**130,405,630.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण (2)

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

15.01.2016 से 31.03.2016 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
बिक्री/सेवाओं से आय	12			-			
अनुदान/सहायिकी	13	11,863,650.00	6,806,734.00	18,670,384.00	30,436,238.00	14,782,621.00	45,218,859.00
शुल्क/अभिदान	14						
निवेश से आय (निवेश से आय चिह्नित/अक्षय निधि से)	15						
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16						
अर्जित ब्याज	17	321,697.00	544,671.00	866,368.00	265,991.00	121,003.00	386,994.00
अन्य आय	18		63,331.00	63,331.00	-	130,740.00	130,740.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19			-			-
और चालू कार्य				-			-
कुल (क)		**12,185,347.00**	**7,414,736.00**	**19,600,083.00**	**30,702,229.00**	**15,034,364.00**	**45,736,593.00**
व्यय							
स्थापना व्यय	20		3,526,674.00	3,526,674.00		14,118,446.00	14,118,446.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	33,680,546.00	2,923,833.00	36,604,379.00	9,811,088.00	3,039,176.00	12,850,264.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22			-			-
ब्याज	23						
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची-8 के अनुरूप)		106,418.00	30,543.00	136,961.00	397,125.00	548,212.00	945,337.00
कुल (ख)		**33,786,964.00**	**6,481,050.00**	**40,268,014.00**	**10,208,213.00**	**17,705,834.00**	**27,914,047.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		**(21,601,617.00)**	**933,686.00**	**(20,667,931.00)**	**20,494,016.00**	**(2,671,470.00)**	**17,822,546.00**
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण			-			-	-
पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य/(घाटा) के कारण शेष		**(21,601,617.00)**	**933,686.00**	**(20,667,931.00)**	**20,494,016.00**	**(2,671,470.00)**	**17,822,546.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

15.01.2016 से 31.03.2016 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां							भुगतान						
प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(I)हाथ शेष :							**(I) व्यय:**						
(क) हाथ रोकड	7,250	8,118	15,368	12,422	14,010	26,432	(क) स्थापना व्यय		3,574,043	3,574,043		12,639,889	12,639,889
)ख) बैंक में जमा राशि			-			-							
(i)चालू खातों में (अव्ययित शेष)			-			-							
(ii) जमा खातों में						-							
(iii) बचत खाता (सिंडिकेट बैंक)	12,522,948	3,668,908	16,191,856	101,694	915,877	1,017,571							
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1,912,900		1,912,900	644,408	-	644,408							
आईडीबीआई बैंक		30,565	30,565	-	29,964	29,964							
पिछले वर्ष के अग्रिम का समायोजन	99,830,531	1,801,321	101,631,852	78,840,705	2,200,197	81,040,902							
(II) प्राप्त अनुदान :							(ख) प्रशासनिक व्यय	33,779,231	1,833,091	35,612,322	9,712,403	3,548,858	13,261,261
(क) भारत सरकार से :-							(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान			-			-
I) राजस्व व्यय		3,798,065	3,798,065	44,120,812	18,490,212	62,611,024	**(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों**						
ii) पूंजीगत व्यय		1,935	1,935	120,243	9,788	130,031	**के लिए किया गया भुगतान :**						
(ख) राज्य सरकार से						-	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान						
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						-	के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना						
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान						-	का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए)						
अलग से दर्शाया जाए)						-							
(III) निवेश पर निम्नलिखित से आय :						-	**(III) किया गया निवेश और जमा :**						
(क) चिह्नित/ अक्षय निधि						-	(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से			-			
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)		6,537,444	6,537,444		6,333,100	6,333,100	(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		7,236,709	7,236,709		6,537,444	6,537,444
(IV) प्राप्त ब्याज :						-	**(IV) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और**						
(क) बैंक जमा राशि पर :						-	**चालू कार्य में पूंजी**						
(ख) ऋण, अग्रिम आदि							(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2,222,348	1,935	2,224,283	120,243	9,788	130,031
(ग) बचत खाता	321,697	544,671	866,368	265,991	121,003	386,994	(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
पोद्भूत ब्याज (वर्ष के दौरान)			-			-							
(V) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	**(V) ऋण और अग्रिम :**						
विविध : प्राप्तियां		63,331	63,331	-	130,500	130,500							
अंतरराष्ट्रीय बैठक पंजीकरण शुल्क			-			-	(क) भारत सरकार को						
अन्य आय			-			-	(ख) राज्य सरकार को						
आरटीआई के लिए प्राप्ति		-	-		240	240	(ग) अन्य को	78,236,647	1,975,215	80,211,862	99,830,531	1,801,321	101,631,852
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट			-			-							
(VI) उधार ली गई राशि :						-	**(VI) वित्तीय प्रभार (ब्याज) :**						
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां						-	**(VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) :**						
(ब्यौरा दें) :						-							
प्रतिभूति जमा			-			-	**(VIII) अंत शेष :**						
							(क) हाथ रोकड	9,664	4,799	14,463	7,250	8,118	15,368
एफएससी		-	-	-		-	(ख) बैंक में जमा राशि :			-			
							(i)चालू खातों में						
							(ii) जमा खातों में						
							(iii) बचत खातों में (यूबीआई)	159,427		159,427	12,522,948		12,522,948
							आईडीबीआई		31,178	31,178		30,565	30,565
							सिंडिकेट बैंक	188,009	1,797,388	1,985,397	1,912,900	3,668,908	5,581,808
कुल	**114,595,326**	**16,454,358**	**131,049,684**	**124,106,275**	**28,244,891**	**152,351,166**	**कुल**	**114,595,326**	**16,454,358**	**131,049,684**	**124,106,275**	**28,244,891**	**152,351,166**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि :						
वर्ष के प्रारंभ में शेष	102,290,169.00	(3,609,548.00)	98,680,621.00	4,321,917.00	1,557,782.00	5,879,699.00
जोड़ें : कॉरपस / पूंजीगत निधि में अंशदान	2,222,348.00	1,935.00	2,224,283.00	120,243.00	9,788.00	130,031.00
जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन						
जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष /(व्यय)				77,634,205.00	(2,364,631.00)	75,269,574.00
घटाएं : अथ शेष						
आय एवं व्यय लेखा	(21,601,617.00)	933,686.00	(20,667,931.00)	20,213,804.00	(2,812,487.00)	17,401,317.00
घटाएं : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित						-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**82,910,900.00**	**(2,673,927.00)**	**80,236,973.00**	**102,290,169.00**	**(3,609,548.00)**	**98,680,621.00**
अनुसूची 2 - रिजर्व एवं अधिशेष :						
1. पूंजीगत रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-	77,634,205.00	(2,364,631.00)	75,269,574.00
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-	77,634,205.00	2,364,631.00	79,998,836.00
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
		-	-			
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :		-	-			
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
3. विशेष रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
4. सामान्य रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
		-				
कुल	-	-		-	-	-

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान						
क. वर्तमान देयताएं						
अव्ययित सहायता अनुदान	5,357,100	698,922	6,056,022	14,443,098.00	3,707,591	18,150,689
व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	704,546	1,055,742	1,760,288	704,546.00	-	704,546
अशोक टूर एण्ड ट्रैवल्स				38,266		38,266
ईपीएफ संगठन		12,756	12,756		237,156	237,156
प्रतिभूति जमा			-		10,000	10,000
टीडीएस संविदाकार		10,945	10,945	8,210	10,551	18,761
टाडीएस व्यावसायिक/वेतन			-	52,209	5,000	57,209
टेरेदेसहोमेमेस (लाउसेने)			-	33,620.00		33,620
द बार्कर फाउंडेशन यूएसए	33,620		33,620	33,641.00		33,641
अग्रिम जमा राशि	33,641	55,000	88,641		10,000	10,000
श्री संजय कुमार डीईओ					64	64
टीए के लिए देय राशि	28,407	-	28,407	28,407.00	-	28,407
कुल क	**6,157,314**	**1,833,365**	**7,990,679**	**15,341,997.00**	**3,980,362**	**19,322,359**
ख प्रावधान						
1. कराधान के लिए						
2. उपदान	-	6,655,955	6,655,955	-	6,523,231	6,523,231
3. अधिवर्षिता / पेंशन						
4. संचित छुट्टी नकद भुगतान	-	5,928,396	5,928,396	-	5,879,419	5,879,419
5. व्यापार वारंटियां/दावे						
6.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
प्रशासन एवं स्थापना व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'घ')						-
व्यय हेतु प्रावधान						
कुल ख	-	**12,584,351**	**12,584,351**	-	**12,402,650**	**12,402,650**
कुल (क+ख)	**6,157,314**	**14,417,716**	**20,575,030**	**15,341,997**	**16,383,012**	**31,725,009**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

(योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - क के अनुसार ब्यौरा **31.3.2016 की स्थिति के अनुसार**

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	3,435,787	-	-	3,435,787	698,301	40,454	-	738,755	2,697,032	2,737,486
6. कार्यालय उपस्कर	113,754	519,622	-	633,376	11,133	9,753		20,886	612,490	102,621
7. कम्प्यूटर/ कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तु	1,874,321	1,702,726	-	3,577,047	1,355,891	56,211	-	1,412,102	2,164,945	518,430
8. विद्युत संस्थापना	-		-	-	-		-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें			-	-		-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				-						
कुल	**5,423,862**	**2,222,348**	-	**7,646,210**	**2,065,325**	**106,418**	-	**2,171,743**	**5,474,467**	**3,358,537**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									-	
कुल जोड़									**5,474,467**	**3,358,537**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

(गैर-योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - ख के अनुसार ब्यौरा — 31.3.2016 तक की स्थिति के अनुसार

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	1,940,433		-	1,940,433	1,785,262	4,542	-	1,789,804	150,629	155,171
6. कार्यालय उपस्कर	1,636,927		-	1,636,927	1,102,119	22,405		1,124,524	512,403	534,808
7. कम्प्यूटर/ कम्प्यूटरी से जुडी वस्तुएं	2,349,549	-	-	2,349,549	2,312,732	3,596	-	2,316,328	33,221	36,817
8. विद्युत संस्थापना	-		-	-	-		-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	50,740	1,935	-	52,675	50,428		-	50,428	2,247	312
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-		-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				-						
कुल	**5,977,649**	**1,935**	-	**5,979,584**	**5,250,541**	**30,543**	-	**5,281,084**	**698,500**	**727,108**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									-	
कुल जोड़	**5,977,649**	**1,935**	-	**5,979,584**	**5,250,541**	**30,543**	-	**5,281,084**	**698,500**	**727,108**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 -

31 मार्च 2016 तक की अवधि/ को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 9 - अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश :						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
कुल			-			-
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य :						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है						
मियादी जमा (सिंडिकेट बैंक के पास)	-	7,236,709.00	7,236,709.00		6,537,444.00	6,537,444.00
कुल	-	**7,236,709.00**	**7,236,709.00**	-	**6,537,444.00**	**6,537,444.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क. चालू परिसंपत्तियां :						
1. संपत्ति - सूची :						
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे		-			-	
ख) खुले औजार		-			-	
ग) स्थायी खजाना						
तैयार माल		-			-	
प्रगति में कार्य		-			-	
कच्चा माल		-	-		-	-
कुल						
2. विविध देनदार :						
क) छः माह से अधिक अवधि के ऋण						
ख) अन्य						-
3. हस्तगत बकाया रोकड (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	9,664.00	4,799.00	14,463.00	7,250.00	8,118.00	15,368.00
4. बैंक में जमा राशि :						
क) अनुसूचित बैंकों में :						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)						
* बचत खातों में	347,436.00	1,828,566.00	2,176,002.00	14,435,848.00	3,699,473.00	18,135,321.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में						
* बचत खातों में						
कुल						-
5. डाकघर- बचत खाते			-			-
कुल	**357,100.00**	**1,833,365.00**	**2,190,465.00**	**14,443,098.00**	**3,707,591.00**	**18,150,689.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग - 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)						
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां						
1. ऋण :						
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')		168,700.00	168,700.00	17,200.00	191,148.00	208,348.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं						
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाना						
क) पूंजीगत खाते में						
ख) पूर्व भुगतान						
ग) अन्य :						
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता						
एनआईसी	5,140,396.00	1,405.00	5,141,801.00	5,728,879.00	1,405.00	5,730,284.00
के.लो.नि.वि.	4,793,083.00	-	4,793,083.00	4,793,083.00	-	4,793,083.00
लीज लाइन के लिए भुगतान किया अग्रिम (एमटीएनएल एवं एनआईसीएसआई)	6,970,717.00	1,246,215.00	8,216,932.00	6,970,717.00	1,246,215.00	8,216,932.00
प्रतिभूति जमा (फोन)			-	667,240.00		667,240.00
डीएवीपी		143,000.00	143,000.00		143,000.00	143,000.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम	33,054,073.00		33,054,073.00	56,288,323.00		56,288,323.00
एनआईसीएसआई		26,458.00	26,458.00		52,083.00	52,083.00
एनआईडी खाता	5,833,525.00		5,833,525.00	6,825,710.00		6,825,710.00
डी.जी.एस. एण्ड डी.		-	-		-	-
सम्पदा निदेशालय	62,988.00	1,791.00	64,779.00	1,731,379.00	1,791.00	1,733,170.00
एनसीडब्ल्यू	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00
सीआईडीपीएचओ भोपाल		-	-		-	-
राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00
3. उपार्जित आय :	22,344,689.00		22,344,689.00	16,800,000.00		
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए			-			
ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर)			-			
ग) ऋणों एवं अग्रिम से			-		147,679.00	147,679.00
घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रुपये........- भी शामिल है			-			-
अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य	29,176.00	369,646.00	398,822.00		-	-
कुल	5,000,000.00		5,000,000.00			-
4. दावों को प्राप्त करने योग्य						
कुल (ख)	**83,236,647.00**	**1,975,215.00**	**85,211,862.00**	**99,830,531.00**	**1,801,321.00**	**84,831,852.00**
कुल (क+ ख)	**83,593,747.00**	**3,808,580.00**	**87,402,327.00**	**114,273,629.00**	**5,508,912.00**	**102,982,541.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 12 - बिक्री और सेवाओं से आय :						
1) बिक्री से आय						
क) तैयार माल की बिक्री			-			-
ख) कच्चे माल की बिक्री			-			-
ग) रद्दी माल की बिक्री			-			-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार			-			-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा			-			-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली			-			-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			-			-
ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल	-	-	-	-	-	-

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी						
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)						
जोड़ें:- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान	14,443,098	3,707,591	18,150,689	758,524	-	758,524
1) केंद्र सरकार	5,000,000	3,800,000	8,800,000	44,241,055	18,500,000	62,741,055
घटायें- अव्ययित अनुदान	5,357,100	698,922	6,056,022	14,443,098	3,707,591	18,150,689
घटायें- पूंजी निधि में अतंरित राशि	2,222,348	1,935		120,243	9,788	
2) राज्य सरकार (रें)						-
3) सरकारी अभिकरण						-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय						-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन						-
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						-
कुल	**11,863,650**	**6,806,734**	**18,670,384**	**30,436,238**	**14,782,621**	**45,218,859**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसची

-

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि						
1) रायल्टी से आय			-			-
2) प्रकाशन से आय			-			-
3)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल			-			-
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज						
1) मियादी जमा पर :						
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)			-			-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से			-			-
ग) संस्थाओं से			-			-
घ) अन्य			-			-
2) बचत खातों पर :			-			-
क) अनुसूचित बैंको से	321,697	544,671	866,368	265,991	121,003	386,994
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से						-
ग) संस्थाओं से						-
घ) अन्य						-
3) ऋणों पर :						-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-		-	-		-
ख) अन्य						-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज						-
कुल	**321,697**	**544,671**	**866,368**	**265,991**	**121,003**	**386,994**

टिप्पणी- घटायें गये कर के स्रोत को भी ईंगित किया जाए

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 18 - अन्य आय :						
1)परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						-
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां						-
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						-
2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन						-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क					130,500	130,500
4) विविध आय			-	-	-	-
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री						-
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट						-
आरटीआई शुल्क			-	-	240	240
प्राप्त विदेशी अनुदान		63,331	63,331	-	-	-
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)	-	-	-	-	-	
कुल	-	**63,331**	**63,331**	-	**130,740**	**130,740**

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)						
क) अंत स्टॉक						
i) तैयार माल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
i)तैयार मल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
कुल						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) वेतन और मजदूरी						
जनशक्ति प्रभार						
ख) भत्ते, बोनस और मानदेय		2,625,091	2,625,091		11,724,727	11,724,727
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		-	-		-	-
घ) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान			-		48,781	48,781
ड) चिकित्सा व्यय		192,000	192,000		96,000	96,000
च) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय			-		-	-
छ) यूनीफार्म प्रभार		115,116	115,116		378,752	378,752
ज) भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान			-		-	-
झ) ईडीएलआई (पीएफ)			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार			-		-	-
एफएससी		328,527	328,527		-	-
पट्टा किराया		133,216	133,216		598,285	598,285
ट) समायोपरि भत्ता			-			-
उपदान प्रावधान		132,724	132,724		929,066	929,066
संचित छुट्टी वेतन प्रावधान			-		342,835	342,835
कुल क+ख	-	**3,526,674**	**3,526,674**	-	**14,118,446**	**14,118,446**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय						
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		13,852	13,852		19,327	19,327
कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव		14,661	14,661		55,426	55,426
वाहन किराया (कार)		366,643	366,643		790,429	790,429
डाक और तार प्रभार		32,501	32,501		87,097	87,097
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		436,893	436,893		91,164	91,164
यात्रा व्यय		121,084	121,084		284,841	284,841
वाहन व्यय		7,229	7,229		24,852	24,852
बैठक व्यय		20,452	20,452		58,798	58,798
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी		5,541	5,541		135,813	135,813
परामश्र सेवा प्रभार			-	4,646,355		4,646,355
बैंक प्रभार	994	700	1,694	147	1,397	1,544
कार्यालय व्यय		21,874	21,874		66,035	66,035
विज्ञापन एवं प्रचार	23,234,250		23,234,250	409,450		409,450
टेलीफोन प्रभार		130,874	130,874		265,269	265,269
वार्षिक बैठक व्यय			-			-
लेखापरीक्षा शुल्क		123,005	123,005		123,005	123,005
आतिथ्य		17,155	17,155		18,774	18,774
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय			-		1,200	1,200
प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम व्यय	1,776,451		1,776,451	2,420,680		2,420,680
जल एवं विद्युत प्रभार		16,440	16,440		34,890	34,890
सुरक्षा एवं सफाई व्यय		1,070,250	1,070,250		621,532	621,532
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव		15,164	15,164			-
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री		25,515	25,515		1,700	1,700
केयरिंग्स एवं परामर्श प्रभार	1,507,952		1,507,952	1,297,184		1,297,184
बैठक शुल्क खाता		484,000	484,000		206,500	206,500
हिंदी पखवाड़ा व्यय			-		41,000	41,000
सम्मेलन एवं प्रदर्शनी व्यय			-			-
सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग व्यय	6,842,496		6,842,496	105,069	99,394	204,463
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव			-		10,733	10,733
निशुल्क हेल्पलाइन व्यय	203,311	-	203,311	486,925	-	486,925
निरीक्षण और निगरानी व्यय	115,092	-	115,092	236,705	-	-
शोध एवं मूल्यांकन व्यय		-	-	208,573	-	-
कुल जोड़	**33,680,546**	**2,923,833**	**36,489,287**	**9,811,088**	**3,039,176**	**12,404,986**

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक-८, विंग-२, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०१6 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची – २४

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

१. लेखांकन रीति :
वित्तीय विवरण लेखांकन की उपचित विधि से तैयार किए गए हैं।
२. सामान सूची का मूल्यांकन :
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
३. निवेश :
"दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।
४. स्थायी परिसंपत्तियां :
4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आवक माल भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।
4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गईं स्थायी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।
५. मूल्यह्रास :
5.1 मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता है ।
क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया जाता है।
ख. ५०००/- रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।
ग. स्थायी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के ५% की दर पर किया गया है।
6. सरकारी अनुदान/सहायिकी:
६.१ सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।
६.२ केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।
7. पट्टा :
पट्टा किराए की राशि पटटे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।
8. सेवानिवृत्ति लाभ :
8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना पर उपार्जित की जाती है।
8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इस परिकल्पना पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत पर लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं ।

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक-८, विंग-२, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०१6 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची - २५

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

१. ३१ मार्च, २०१6 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।

२. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।

३. आय कर अधिनियम, १९६१ के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

४. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: वर्गीकृत/ पुनर्योजित किया गया है।

५. अनुसूची १ से २५ संलग्न हैं और वे ३१ मार्च, २०१6 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं ।

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम

31मार्च 2016 तक की स्थिति

अनुलग्नक -ख

क्रम.सं.	गैर सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तिथि	राशि	
			गैर योजना	योजना
1	महानिदेशक, आरसीवीपी, नीरहना अकादमी			
2	प्रशासन अकादमी, भोपाल	13.11.2006	1,405	
3	आईसीसीडब्लयू, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008		618,860
4	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, रायपुर	22.08.2008		164,320
5	यशोदा पुणे			55,000
6	निदेशक डब्ल्यूसीडी, रायपुर	03.06.2010		164,320
7	निदेशक डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ	18.06.2010		164,320
8	निदेशक, समाज कल्याण पटना, बिहार	09.02.2011		228,396
9	निदेशक डब्ल्यूसीडी,आंध्र प्रदेश	24.02.2011		248,808
10	निदेशक, समाज कल्याण, रांची	14.07.2011		92,336
11	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011		99,704
12	आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलुरु, कर्नाटक	20.10.2011		54,400
13	कर्नाटक समेंकित बाल संरक्षण सोसायटी	25-6-2012		75,400
14	डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ़	3/10/2012		106,172
15	निदेशक समाज कल्याण विभाग रांची	5/29/2013		100,000
16	निदेशक, महाराष्ट्र बाल राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	6/4/2013		158,000
17	निदेशक, समाज कल्याण, पश्चिम बंगाल (सिलीगुडी कार्यक्रम)	06.06.2013		158,000
18	निदेशक डब्ल्यूसीडी बैंगलोर	26.06.2013		110,017
19	चैयरमैन, वीसीए, हैदराबाद	1/17/2014		36,585
20	निदेशक, समाज कल्याण पश्चिम बंगाल कोलकाता	3/25/2014		195,648
21	निदेशक, समाज कल्याण विभाग यूपी (महिला कल्याण समिति)	18.09.2014		107,656
22	निदेशक, समाज कल्याण विभाग पटना	20.11.2014		232,986
23	आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014		237,510
24	निदेशक समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण सोसायटी पश्चिम	27.02.2015		84,460
25	निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015		109,592
26	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई)	7/4/2015		180,250
27	निदेशक विभाग बाल सशक्तिकरण राजस्थान	9/4/2015		144,320
28	निदेशक राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	11/6/2015		186,306
29	निदेशक, समाज कल्याण और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	12/10/2015		199,490
30	निदेशक, समाज कल्याण देहरादून, उत्तराखंड	12/15/2015		107,120
31	महाराष्ट्र बाल संरक्षण सोसायटी	1/20/2016		313,944
32	निदेशक, समाज कल्याण केरल	1/20/2016		87,098
33	एमएस, समाज कल्याण विभाग संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ	2/18/2016		42,061
34	चैयरमैन, सारा तेलंगाना (समाज कल्याण)	2/18/2016		97,685
35	सीईओ, एपी एसपीई महिला एवं बाल विजयवाड़ा	3/10/2016		179,632
	कुल क		**1,405**	**5,140,396**

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम

	कर्मचारी का नाम	बकाया राशि 14.1.2016 तक की स्थिति	बकाया राशि 31.3.2015 तक की स्थिति	
क	त्यौहार अग्रिम			
	श्री प्रमोद कूमार	2700	3600	
	श्री रितेश आहूजा, डीईओ	2,700	3,600	
	श्री संजय कूमार,डीईओ	2,700	3,600	
	श्री देवेंद्र कूमार	2,700	3,600	
	श्री रवि रावत, डीईओ	2,700	3,600	
	श्री बलजीत सिंह			
	श्री विजय सिंह	2,700	3,600	
	श्री भगत, चपरासी			
	कुल क			
ख	कम्पुटर अग्रिम			
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक	2,800	3,600	
ग	कार अग्रिम			
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक	48,700	52,700	
घ	स्कूटर अग्रिम			
	श्री विजय सिंह, स्टेनो	15,000	16,000	
	श्री संजय कूमार,डीईओ		20,000	
	श्री रितेश आहूजा, डीईओ	20,000	21,000	
	श्री सी.एस भगत, एलडीसी	28,000	29,000	
	श्री प्रमोद कूमार,डीईओ	30,000		
	श्री रवि रावत, डीईओ	8,000	12,000	
ड	एलटीसी अग्रिम			
	श्रीमती सी. सरस्वती, उप निदेशक			
च	स्टाफ अग्रिदाय			
	श्रीमती सी. सरस्वती, उप निदेशक		2,000	
	गुलशन सिंह, पीएस		2,000	
	रवि रावत, सहायक		2,000	
	संजय, डीईओ		15	
छ	वाहन भत्ता अग्रिम			
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक		9,233	
	कुल ख	**168,700**	**191,148**	
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**168,700**	**191,148**	

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड - 8, विंग -2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च 2016 तक व्यय हेतु प्रावधान

गैर योजना

विवरण		
भाड़े पर कार लेने का प्रभाव	92416.00	
कार्यालय की मरम्मत एव रखरखाव	4961.00	
जल प्रभार	3990.00	
लेखा शुलक	123005.00	-
लेखन समग्री व्यय	15750.00	
दूरभाष व्यय	39900.00	
एफएससी	328527.00	
मुद्रण व्यय	8,249.00	
सुरक्षा एवं सफाई प्रभार	438,944.00	
कुल	**1,055,742.00**	

31 मार्च 2016 तक व्यय हेतु प्रावधान

योजना

विवरण	**राशि**	
पिछले वर्ष का प्रावधान (बकाया)	704546.00	
कूल	**704,546.00**	

टिप्पणी

"प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।"

“24 साल पहले किए गए दो लोगों के फैसले ने मेरे जीवन को साकार किया। उन्होंने एक बच्चे को अपनाने का निर्णय लिया।

वे मुझे मिल गए, और मुझे सभी बच्चों की तरह जीने का अधिकार मिल गया।”